समय–सीमा/महत्वपूर्ण

कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक/आब./ठेका/2015/**583** रायपुर, दिनांक 10.02.2015

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़

विषय : वर्ष 2015–16 के लिए देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का आबकारी नीति के अन्तर्गत व्यवस्थापन एवं अन्य बिन्दुओं पर शासन निर्देश।

——::0::——

राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि, आगामी वर्ष 2015–16 के लिए देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूहों का निर्वतन, **छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 यथासंशोधित** (जिसे इसके पश्चात् केवल व्यवस्थापन नियम, 2002 भी कहा गया है) के अन्तर्गत **आवेदन प्रणाली** के तहत् **ऑन–लाईन के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त कर** किया जायेगा। शासन निर्णय अनुसार इस सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के मुख्य बिन्दु एवं निर्देश निम्नानुसार हैं :–

1/ **देशी/विदेशी मदिरा दुकानों का आवेदन प्रणाली में व्यवस्थापन एवं समूह का निर्धारण** :–

(1.1) प्रत्येक जिले में स्थित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों को भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से नजदीक स्थित **यथासंभव एक से अनधिक एवं अधिक से अधिक दो देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के समूह बनाये जाकर समूहों का आबंटन उक्त नियमों के तहत् किया जायेगा।** एक ही स्थान की देशी/ विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों को उक्त सीमा के अध्यधीन रहते हुए एक ही समूह में रखा जाना शासकीय राजस्व एवं भौगोलिक दृष्टि से उचित होगा।

(1.2) **किसी समूह का वार्षिक राजस्व लक्ष्य रुपये 10 करोड़ से अधिक नहीं होगा**, लेकिन यदि **रुपये 10 करोड़ से अधिक** का समूह बनाना शासकीय राजस्व हित में आवश्यक हो, तो ऐसे समूह बनाने के लिए संबंधित कलेक्टर द्वारा आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।

(1.3) आगामी वर्ष 2015–16 के लिए एक आवेदक/फर्म/कम्पनी को किसी भी जिले में केवल दो समूह की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का आबंटन किया जा

सकता है, किन्तु किसी भी आवेदक (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) से एक जिले में एक समूह के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

(1.4) वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए आपके जिले की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के ऑन लाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन पत्र प्रणाली में व्यवस्थापन हेतु विस्तृत कार्यक्रम इस कार्यालय द्वारा जारी पत्र **क्रमांक 581–582,** रायपुर **दिनांक 10.02.2015** को प्रकाशित/प्रसारित की गई विज्ञप्ति में दिये गये हैं। विज्ञप्ति की प्रतिलिपि आपको भी भेजी गई है। उक्त दिये गये कार्यक्रम के अनुसार आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूह के लिये ऑन लाईन आवेदन प्राप्त करने एवं कम्प्यूटर के माध्यम से सार्वजनिक लॉटरी द्वारा अनुज्ञापी का चयन करने के लिये नियत तिथियों की विज्ञप्ति प्रकाशित/प्रसारित की जा रही है जिसमें प्रदेश के समस्त जिलों की पृथक–पृथक जिलावार देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूह के लिये निर्धारित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, वार्षिक ड्यूटी की राशि, वार्षिक लायसेंस फीस की राशि, वार्षिक राजस्व, वार्षिक लायसेंस फीस का 1/12 वां भाग व वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि का 1/12वां भाग प्रतिभूति धनराशि एवं माह अप्रैल, 2015 की अग्रिम लायसेंस फीस की राशि आदि की जानकारी अंकित है।

उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय प्रमुख समाचार पत्रों के साथ–साथ कलेक्टर/उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के जिला कार्यालय/ अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार/नगर निगम/ नगर पालिका आदि के कार्यालयों के अतिरिक्त उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता एवं छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड के कार्यालयों के सूचना पटल पर भी सर्व–साधारण की जानकारी के लिए चस्पा की जावेगी तथा उक्त विज्ञप्ति **आबकारी विभाग के वेबसाईट http://excise.cg.nic.in** पर भी उपलब्ध है।

2/ देशी/विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) की ड्यूटी दरें :–

(क) प्रदेश में वर्ष 2015–16 के लिए देशी/विदेशी मदिरा के प्रदाय हेतु देशी एवं विदेशी मदिरा (स्प्रिट एवं माल्ट) की ड्यूटी दरें निम्नानुसार रहेगी :–

क्रमांक	मदिरा का प्रकार	वर्ष 2015–16 के लिए निर्धारित ड्यूटी दर
1	2	3
(1)	**देशी मदिरा** :– मसाला 25.0 U.P. प्लेन 50.0 U.P. रासी 60.0 U.P.	रुपये 90/– प्रति प्रूफलीटर

(2)	**विदेशी मदिरा (स्प्रिट)** :– विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की ड्यूटी दर की गणना वर्ष 2015–16 में विदेशी मदिरा की **लैंडिग प्राईज प्रति पेटी** पर निम्नानुसार होगी:–		
	(i)	रुपये 700/– तक	रुपये 100/– प्रति प्रूफलीटर
	(ii)	रुपये 701/–से 1000/– तक	रुपये 115/– प्रति प्रूफलीटर
	(iii)	रुपये 1001/–से 1500/– तक	रुपये 130/– प्रति प्रूफलीटर
	(iv)	रुपये 1501/–से 2500/– तक	रुपये 160/– प्रति प्रूफलीटर
	(v)	रुपये 2501/–से 4000 तक	रुपये 190/– प्रति प्रूफलीटर
	(vi)	रुपये 4001/– और उससे अधिक	रुपये 220/– प्रति प्रूफलीटर
(3)	**बीयर (माल्ट मदिरा)**		रुपये 22/– प्रति बल्क लीटर
(4)	(क)	विदेशी मदिरा (स्प्रिट) सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों/उनकी संस्थाओं/क्लबों के लिए	रुपये 30/– प्रति प्रूफ लीटर
	(ख)	बीयर (माल्ट मदिरा)	रुपये 8/– प्रति बल्क लीटर

स्पष्टीकरण :– 1. विदेशी मदिरा (स्प्रिट) में सम्मिलित है, व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जिन, वाईन, लिकर्स, कार्डियल्स, बिटर्स, मिक्चर्स तथा अन्य विनिर्मितियाँ, जो स्प्रिरिट युक्त हों।

2. माल्ट मदिरा में सम्मिलित है, बीयर, स्टाउट, एल, पोर्टर, साईडर इत्यादि।

(क–1) न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा एवं ड्यूटी राशि का विनियोजन :–

(1) विदेशी मदिरा स्प्रिट के लिए माहवार निर्धारित प्रत्याभूत मात्रा पर औसत ड्यूटी राशि की गणना रूपये 115/– प्रति प्रूफ लीटर के आधार पर किया गया है। औसत ड्यूटी राशि की गणना निम्नानुसार किया गया है :–

क्र.	रेंज का नाम	लैडिंग प्राइज का स्लेब	ड्यूटी दर	मासिक प्रत्याभूत मात्रा में रेंज वाइस कुल प्रतिशत	ड्यूटी राशि
1	2	3	4	5	6
1	निम्न (चीप)	रुपये 700/– तक	100/–	59%	5900/–
2	मध्यम	रुपये 701/–से 1000/– तक	115/–	7%	805/–
3	उच्च	रुपये 1001/–से 1500/– तक	130/–	24%	3120/–
4	उच्चतर	रुपये 1501/–से 2500/– तक	160/–	8%	1280/–
5	उच्चतम	रुपये 2501/– से 4000/– तक	190/–	1.5%	285/–
6	प्रीमियम	रुपये 4001/– और उससे अधिक	220/–	0.5%	110/–
				100%	**11,500/–**

टीप :– ड्यूटी स्लेब की गणना छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन के लैडिंग प्राइज पर किया जावेगा।

(2) "इस प्रकार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा माह के लिए निर्धारित की गई संपूर्ण न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठान एवं निर्धारित की गई सम्पूर्ण ड्यूटी राशि उपरोक्त सारिणी अनुसार जमा किया जाना अनिवार्य होगा। परन्तु किसी भी माह के लिए विदेशी मदिरा स्प्रिट की निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में से उपरोक्त सारिणी अनुसार जमा करने से शेष रही मात्रा के लिए स्लेबवार निर्धारित ड्यूटी दर अनुसार शास्ति के लिए अनुज्ञप्तिधारी दायी होगा।"

"परन्तु कम ड्यूटी दर वाली मदिरा की मात्रा का समायोजन अधिक ड्यूटी दर वाली मदिरा की मात्रा से, ड्यूटी की अन्तर राशि का पृथकतः भुगतान पश्चात्, किया जा सकेगा।"

(ख) **<u>आबकारी कर योग्य वस्तुओं पर शुल्क (ड्यूटी) पर 10% अधिभार</u>** :–

आबकारी शुल्क (ड्यूटी) योग्य वस्तुओं के विहित शुल्क (ड्यूटी) पर 10% अधिभार देय होगा, जिसका अंतरण ग्रामीण तथा नगरीय निकायों को जनसंख्या के अनुपात में दिया जावेगा।

(ग) **<u>विदेशी मदिरा की बोतलों पर प्लास्टिक पारदर्शी सील टोपी (Transparent plastic sealing cap) लगाया जाना</u>** :–

आगामी वर्ष 2015–16 के लिये वर्ष 2014–15 की भांति दिनांक 01.04.2015 से विदेशी मदिरा की बोतलों पर विनिर्माता/प्रदायकर्ता, इकाईयों का नाम मुद्रित किया हुआ प्लास्टिक पारदर्शी सील टोपी (Transparent plastic sealing cap) होलोग्राम सहित लगाना अनिवार्य किया गया है।

टीप :–सभी प्रकार के विदेश निर्मित विदेशी मदिरा, (FMFL) तथा उत्पाद जो गैर वापस वाल्व (Non returnable valve) या टेम्पर प्रूफ कैप्स में / के साथ प्रदाय किये गये हों उन पर उक्त अनिवार्यता लागू नहीं होगी।

3/ **<u>मादक द्रव्यों की नवीन दुकानें खोलना/बंद करना</u>** :–

(3.1) **<u>नवीन दुकानें खोलना</u>** :– राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार आगामी वर्ष 2015–16 में राज्य के किसी भी जिले में **नवीन मदिरा दुकानें नहीं खोली जावेगी।**

(3.2) **<u>दुकानें बंद करना</u>** :– राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार आगामी वर्ष 2015–16 में राज्य के किसी भी जिले में **कोई मदिरा दुकानें बंद नहीं की जावेगी।**

4/ **<u>देशी मदिरा दुकानों की अवस्थिति</u>** :–

(4.1) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के अन्तर्गत निर्मित सामान्य प्रयुक्ति नियमों के नियम 1(1) के अन्तर्गत प्रावधानित आपत्तिजनक स्थानों पर कोई भी फुटकर मदिरा की दुकान, जहाँ पर परिसर में मदिरा के उपभोग की अनुमति हो, स्थापित नहीं की जा सकती है। अतः उक्त नियमों का पालन सुनिश्चित् किया जावे।

(4.2) जिला आबकारी सलाहकार समिति की राय पर संबंधित जिलों के कलेक्टर्स द्वारा उक्त कंडिका (4.1) के संबंध में दिए गए प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए, आगामी **वर्ष 2015–16 में दिनांक 01.04.2015** से निम्नांकित जिलों में उनके नाम के सामने दर्शित अनुसार वर्तमान वर्ष में स्थित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों को उनके वर्तमान नाम के स्थान पर नवीन नाम यथा स्थान पर संचालित करने की अनुमति राज्य शासन द्वारा प्रदत्त की गई है :–

वर्ष 2015–16 के लिए देशी/विदेशी मदिरा दुकानों की अवस्थिति अर्थात् स्थल परिवर्तन/नाम परिवर्तन की सूची– परिशिष्ठ–"एक" निम्नानुसार है :–

क्र.	नाम जिला	वर्ष 2014–15 में दुकान का वर्तमान स्थान/नाम			वर्ष 2015–16 के लिए दुकान का परिवर्तित स्थान/नाम	
		किस्म दुकान		स्थान	किस्म दुकान	स्थान
1	2	3		4	5	6
1	राजनांदगांव	1	देशी मदिरा	नयाढ़ाबा	देशी मदिरा	पेण्ड्री
		2	विदेशी मदिरा	साल्हेवारा	विदेशी मदिरा	मानपुर
2	रायगढ़	1	विदेशी मदिरा	राजीव नगर	विदेशी मदिरा	कोकड़ीतराई

(4.3) उपरोक्त के अतिरिक्त सामान्य प्रयुक्ति नियमों के नियम 1 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत आपत्तिजनक स्थल में स्थापित मदिरा दुकानों को सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक 5 के अनुसार एक परिक्षेत्र से दूसरे परिक्षेत्र में स्थानांतरण करने के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर सक्षम हैं, अतः जिले की कोई मदिरा दुकान, जहाँ पर परिसर में मदिरा उपभोग की अनुमति हो, यदि आपत्तिजनक स्थल पर है, तो ऐसी मदिरा दुकानों को नियमानुसार आपत्तिरहित स्थल पर स्थानांतरित करने की कार्यवाही जिला स्तर पर की जावे।

(4.4) जिन जिलों के प्रस्तावों में आबकारी सलाहकार समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों अथवा माननीय सांसद/विधायक द्वारा वर्तमान वर्ष 2015–16 में स्थित मदिरा दुकानों में से जिन मदिरा दुकानों को आपत्तिजनक स्थल पर स्थित होने अथवा अन्य कारणों से उनके वर्तमान स्थल से हटाने की मांग की गई है, उन संबंधित मदिरा दुकानों को स्थानीय नागरिकों/संस्थाओं/वार्ड पार्षदों/ग्राम पंचायतों आदि के साथ संबंधित मदिरा दुकान की स्थापना के लिए स्थल चयन हेतु समन्वय कर आगामी वर्ष 2015–16 में उनके वर्तमान स्थल से हटाकर उसी परिक्षेत्र में अन्यत्र आपत्तिरहित स्थल पर स्थापित करने की कार्यवाही जिला स्तर पर की जाये, ताकि वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान अनावश्यक रूप से ऐसी मदिरा दुकानों को हटाने आदि के संबंध में किसी प्रकार के आंदोलन आदि की स्थिति निर्मित न हो।

(4.5) वर्ष 2015–16 के लिये देशी/विदेशी मदिरा दुकान किसी राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा राज्य राजमार्ग के केन्द्र बिन्दु से 100 मीटर या उससे कम दूरी पर फुटकर मदिरा दुकान को स्थापित/अवस्थित नहीं किया जावेगा, साथ ही :–

(अ) किसी राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा राज्य राजमार्ग के दृश्यमान किसी भी मदिरा दुकान का प्रवेश द्वार किसी राष्ट्रीय अथवा राज्य राजमार्ग की ओर नहीं होगा, बल्कि मदिरा दुकान इस प्रकार स्थापित होगी कि मदिरा की पीठ किसी राष्ट्रीय अथवा राज्य राजमार्ग की ओर रहेगी।

(ब) किसी राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा राज्य राजमार्ग से किसी मदिरा दुकान पर लगा हुआ साईन बोर्ड दृश्य नहीं होगा।

(स) किसी राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा किसी राज्य राजमार्ग पर किसी भी मदिरा दुकान को इंगित/सूचित किए जाने वाला साईन बोर्ड भी दृश्यमान नहीं होगा।

5/ व्यवस्थापन प्रणाली में मदिरा दुकानों/समूह का राजस्व निर्धारण :–

आपके द्वारा दिए गए प्रस्तावों का नियमानुसार परीक्षण करने के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु प्रदेश के समस्त **27 जिलों** क्रमशः (1) रायपुर, (2) दुर्ग, (3) राजनांदगांव, (4) धमतरी, (5) महासमुंद, (6) कबीरधाम, (7) बस्तर, (8) नारायणपुर, (9) उ.ब.काँकेर, (10) द.ब. दन्तेवाड़ा, (11) बीजापुर, (12) बिलासपुर, (13) कोरबा, (14) जांजगीर–चाँपा, (15) रायगढ़, (16) जशपुर, (17) सरगुजा, (18) कोरिया (19) बलौदाबाजार–भाठापारा, (20) गरियाबंद, (21) बालोद, (22) बेमेतरा, (23) कोंड़ागांव, (24) सुकमा (25) मुंगेली (26) बलरामपुर–रामानुजगंज, (27) सूरजपुर की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के लिए **राजस्व को दो भागों क्रमशः 65% लायसेंस फीस के रूप में एवं शेष 35% ड्यूटी के रूप में रखा गया है** तदनुसार जिलेवार निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा व कुल वार्षिक राजस्व लक्ष्य **संलग्न परिशिष्ट–"दो" के अनुसार** निर्धारित किया जाता है। अतः आपके जिले की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा एवं निर्धारित वार्षिक राजस्व लक्ष्य के आधार पर जिले की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के समूह के लिए ड्यूटी एवं लायसेंस फीस की राशि परिगणित की जाकर, **कंडिका 1** में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत समूह बनाए जावें तथा देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन आवेदन प्रणाली में सुनिश्चित किया जाये।

6/ देशी मदिरा की उप–दुकान खोलने की सुविधा :–

राज्य शासन द्वारा लिये निर्णय अनुसार आगामी वर्ष 2015–16 के लिए देशी मदिरा की उप–दुकान स्वीकृत नहीं की जावेंगी।

7/ नवनिर्मित जिले में मदिरा दुकान/समूहों के व्यवस्थापन की प्रक्रिया :–

छत्तीसगढ़ राज्य में नवगठित जिलो को मिलाकर वर्तमान में कुल 27 जिले शामिल है। नवगठित जिला सूरजपुर में **एन. आई. सी. का मुख्यालय** नहीं होने के कारण संबंधित कलेक्टर द्वारा निम्नांकित सारिणी में दर्शित स्थान पर कम्प्यूटर के माध्यम से लॉटरी निकाल कर ड्रा की कार्यवाही की जावेगी:–

क्र.	जिला का नाम	लॉटरी द्वारा ड्रा करने का स्थान
1	2	3
1	सूरजपुर	कलेक्टोरेट सरगुजा

शेष जिले में चयन की कार्यवाही इस कार्यालय द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार घोषित तिथि/स्थान पर संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा की जावेंगी। फुटकर दुकानों के आबंटन पश्चात् अग्रिम धन जमा कराने तथा अनुज्ञप्तियॉ जारी करने आदि के समस्त कार्य जिले के कलेक्टर के अधीन जिला अधिकारी द्वारा संबंधित जिला आबकारी कार्यालय में किया जावेगा।

8/ **प्रोसेस फीस** :–

किसी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूहों की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन प्रणाली में आबंटन करने के लिए इच्छुक आवेदनकर्ताओं के द्वारा **ऑन–लाईन** किये जाने वाले निर्धारित आवेदन के साथ **प्रोसेस फीस रुपये 5000/– ई–पेमेंट के माध्यम से** जमा की जावेगी। प्रोसेस फीस की राशि न तो लायसेंस फीस में समायोजन योग्य होगी और न ही यह राशि अनुज्ञप्ति स्वीकृत न होने पर वापसी योग्य होगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी इस कार्यालय द्वारा जारी **विज्ञप्ति 581–582, दिनांक 10.02.2015** की कंडिका 1 (iii) में दी गई है।

9/ **देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूह के आबंटन के लिए आवेदन पत्र** :–

(9.1) इच्छुक आवेदनकर्ताओं की जानकारी हेतु वर्ष 2015–16 के लिए आवेदन प्रणाली में आबंटित की जाने वाली देशी/विदेशी मदिरा के समूह में सम्मिलित फुटकर दुकान/दुकानों की सूची, वार्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत की मात्रा, वार्षिक ड्यूटी की राशि, वार्षिक लायसेंस फीस की राशि, वार्षिक मूल्य, निर्धारित वार्षिक लायसेंस फीस के 1/12वें भाग के बराबर धनराशि एवं वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि के 1/12वें भाग के बराबर प्रतिभूति (सिक्यूरिटी डिपाजिट) की धनराशि एवं एक माह की अग्रिम लायसेंस फीस की राशि व समूह के लिए निर्धारित प्रोसेस फीस आदि की जानकारी समस्त कलेक्टर/उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के जिला कार्यालय/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/तहसीलदार/नगर निगम/ नगर पालिका के कार्यालय एवं इसके अतिरिक्त उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता एवं छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड के कार्यालयों के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जावेगी, **तथा आबकारी विभाग के वेबसाईट http://excise.cg.nic.in पर भी उपलब्ध कराई गई है।**

(9.2) आवेदनकर्ता वर्ष 2015–16 के लिए देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों/समूहों के आबंटन के लिए आवेदन पत्र **परिशिष्ट–"तीन–(i)"** व शपथ पत्र **परिशिष्ट–"तीन–(ii)"** के प्रारूप तथा अशिक्षित/अर्द्ध शिक्षित आवेदक हेतु जन्म तिथि के लिए मजिस्ट्रेट/नोटरी के समक्ष दिये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप **परिशिष्ट–"तीन–(iii)"** जो इस विज्ञप्ति के साथ भी प्रकाशित किए जा रहे हैं,

सम्बन्धित जिले के उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के जिला कार्यालय से प्राप्त कर सकेंगे। इसे **आबकारी विभाग के वेबसाईट http://excise.cg.nic.in पर भी उपलब्ध कराया गया है,** तथा आवेदन पत्र व शपथ पत्र तथा अशिक्षित/अर्द्ध शिक्षित आवेदक हेतु जन्म तिथि के लिए मजिस्ट्रेट/नोटरी के समक्ष दिये जाने वाले शपथ पत्र निर्धारित प्रारूपों पर ही किया जा सकेगा। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में पासपोर्ट साईज की स्केन की गई फोटो लगाई जावेगी। स्कैन की गई फोटो की साइज 20 के.बी. से 50 के. बी. के बीच एवं रिजोल्यूशन न्यूनतम 144 X 144 PX (पिक्सल) का होना चाहिए।

(9.3) किसी भी इच्छुक आवेदनकर्ता के द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों/समूहों के आबंटन हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किए गए आवेदन पत्र के प्रारूप पर प्रदेश के जिलों के लिए निर्धारित तिथि एवं समय तक **ऑन–लाईन** आवेदन किया जा सकता है। चयनित आवेदनकर्ता को चयन की सूचना के दो कार्य दिवस के भीतर विहित प्रारूप में अपने प्रमाणित फोटोग्राफ सहित पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा स्थिति में चयनित आवेदक का चयन अस्वीकृत कर दिया जावेगा :–

(i) **<u>आयु के प्रमाण के लिए</u>** – म्यूनिसिपल अथॉरिटी या रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु जिला कार्यालय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या अंतिम स्कूल से जारी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र या अशिक्षित/अर्द्धशिक्षित आवेदक द्वारा जन्म तिथि के लिए मजिस्ट्रेट/नोटरी के समक्ष संलग्न प्रारूप में दिया गया शपथ पत्र या पेनकार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, **इनमें से किसी एक प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ सत्यापित प्रतिलिपि** भी संलग्न होना अनिवार्य है। जांच पश्चात मूल प्रति आवेदक को वापस की जावेगी।

(ii) **<u>स्थायी निवास के प्रमाण के लिए</u>** –मतदाता परिचय पत्र, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आयकर निर्धारण आदेश, ड्राईविंग लायसेंस, संबंधित राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, जल, टेलीफोन, बिजली बिल, बैंक का जीवित खाता स्टेटमेंट, **इनमें से किसी एक प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ सत्यापित प्रतिलिपि** भी संलग्न होना अनिवार्य है। जांच पश्चात मूल प्रति आवेदक को वापस की जावेगी।

(iii) आवेदक को आयकर विभाग द्वारा आबंटित पेन कार्ड की सत्यापित प्रतिलिपि जमा करना अनिवार्य है।

(9.4) वर्ष 2015–16 के लिए कोई भी आवेदक (व्यक्ति/फर्म/कंपनी) एक जिले में एक समूह के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

(9.5) ऑन लाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन जमा करना:–

देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूह हेतु अनुज्ञप्ति स्वीकृति के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रारूप में "ऑन लाइन" आवेदन पत्र निर्धारित प्रोसेस फीस (रूपये 5000/– प्रति समूह) के साथ **"ई–पेमेंट के माध्यम से"** निर्धारित तिथि एवं समय तक निम्नानुसार जमा किये जा सकते है :–

1. राज्य के समस्त जिलों के मदिरा दुकानों/समूहों की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र ऑन लाइन जमा किए जायेंगे। आवेदन पत्र **https://excise.cg.nic.in /eApplication** के वेब साईट में उपलब्ध रहेगा।
2. ऑन लाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन प्रणाली में आवेदन जमा करने की तिथि दिनांक **11.02.2015** की प्रातः 10:30 बजे से दिनांक **25.02.2015** की संध्या 05:30 बजे तक अनवरत रहेगी।

3. ऑन लाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन प्रणाली में आवेदक को आवेदन में अपना पासपोर्ट साइज का फोटो संलग्न (Attach) करना अनिवार्य होगा, फोटो में आवेदक का चेहरा स्पष्टतया दर्शित होना आवश्यक है, स्केन फोटो का साइज 20 के.बी. से 50 के.बी. के बीच एवं रिजोल्यूशन न्यूनतम 144 X 144 PX (पिक्सल) का होना चाहिए।

4. ऑन लाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन प्रणाली आवेदक को आवेदन में अपने PAN CARD के अग्रभाग को स्केन कर संलग्न (Attach) करना अनिवार्य होगा एवं PAN CARD के स्केन Image का साइज 40 के.बी. से 80 के.बी. के बीच एवं रिजोल्यूशन न्यूनतम 300 X 150 PX (पिक्सल) का होना चाहिए ।

5. ऑन लाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन प्रणाली में आवेदक को आवेदन जमा करते समय प्रति समूह रूपये 5000/– की प्रोसेस फीस की राशि **ऑन लाईन फन्ड ट्रान्सफर की प्रक्रिया** के तहत जमा करना होगा। इस हेतु भारतीय स्टेट बैंक के **Payment Gateway** में उपलब्ध बैंको में संचालित खातों में से आन लाइन प्रक्रिया के तहत राशि ट्रान्सफर की जा सकेगी। प्रोसेस फीस की राशि न तो लायसेंस फीस में समायोजन योग्य होगी और न ही यह राशि अनुज्ञप्ति स्वीकृत न होने पर वापसी योग्य होगी।

इसी प्रकार इन बैकों के डेबिट कार्ड के माध्यम से भी प्रोसेस फीस की राशि जमा की जा सकेगी। ऑन लाईन फण्ड ट्रान्सफर की प्रकिया में लगने वाले शुल्क का वहन आवेदक को स्वयं करना होगा।

6. ऑन लाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन प्रणाली में भारतीय स्टेट बैंक के पेमेंट गेटवे में 58 बैंक संयोजित है जो कि निम्नानुसार है :–

S. No.	Bank Name	S.No.	Bank Name
1	ALLHABAD BANK	30	ORIENTAL BANK OF COMMERCE
2	ANDHRA BANK	31	PUNJAB & SIND BANK
3	BANK OF BAHRAIN & KUWAIT	32	PUNJAB NATIONAL BANK (CORPORATE)
4	BANK OF BARODA (CORPORATE)	33	PUNJAB NATIONAL BANK (RETAIL)
5	BANK OF BARODA (RETAIL)	34	RATNAKAR BANK
6	BANK OF INDIA	35	SARASWAT BANK
7	BANK OF MAHARASTRA	36	SHAMRAO VITHAL CO-OP BANK LTD
8	CANARA BANK	37	SOUTH INDIAN BANK LTD
9	CATHOLIC SYRIAN BANK	38	STANDARD CHARTERED BANK
10	CENTRAL BANK OF INDIA	39	SYNDICATE BANK
11	CITY UNION BANK	40	STATE BANK OF BIKANAR & JAIPUR
12	CORPORATION BANK	41	STATE BANK OF HYDERABAD
13	DCB BANK Business	42	STATE BANK OF MYSORE
14	DENA BANK	43	STATE BANK OF PATIALA
15	DEUTSCHE BANK	44	STATE BANK OF TRAVANCORE
16	DHANALAXMI BANK	45	TNSC BANK
17	FEDERAL BANK	46	UCO BANK
18	HDFC BANK LIMITED	47	UNION BANK OF INDIA
19	IDBI BANK	48	UNITED BANK OF INDIA
20	INDIAN BANK	49	VIJAYA BANK
21	INDIAN OVERSEAS BANK	50	YES BANK
22	INDUSIND BANK	51	AXIS BANK
23	ING VYASYA BANK	52	PUNJAB AND MAHARASHTRA CO-OPERATIVE BANK
24	JAMMU & KASHMIR BANK	53	TAMILNADU MERCANTILE BANK
25	KARNATAKA BANK	54	COSMOS BANK

26	KARUR VYSYA BANK	55	DCB BANK Personal
27	KOTAK BANK	56	ICICI Bank
28	LAKSHMI VILAS BANK (CORPORATE)	57	Janata Sahakari Bank
29	LAKSHMI VILAS BANK (RETAIL)	58	RBS (The Royal Bank of Scotland)

उपरोक्त संयोजित बैंकों के सभी शाखाओं में संचालित खातों के खातेधारकों को जिन्हें इन्टरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होगी उनके ही खातों से प्रोसेस फीस की राशि ट्रान्सफर हो सकेगी।

इस प्रकार उपरोक्त बैंकों द्वारा जारी एटीएम–कम–डेबिट कार्ड (वीसा/मास्टर कार्ड) एवं भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी निम्न प्रकार के एटीएम–कम–डेबिट कार्ड से भी प्रोसेस फीस की राशि जमा की जा सकेगी :–

S.No.	CARD TYPE
1	GOLD MAGNETIC STRIPE DEBIT CARD
2	GOLD CHIP DEBIT CARD
3	PLATINUM DEBIT CARD
4	YUVA CARD
5	VISA GOLD
6	MASTER GOLD
7	MASTER PLATINUM CARD
8	VISA PLATINUM CARD
9	INTERNATIONAL CARD
10	SILVER CARD (16 DIGIT VISA/MASTER CARD)
11	CLASSIC CARD (16 DIGIT VISA/MASTER CARD)
12	DOMESTIC CARD
13	DRISHTI CARD

7. ऑन लाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन प्रणाली में आवेदन जमा करने हेतु प्रोसेस फीस की राशि आवेदक के खाते से ऑन लाइन ट्रान्सफर हो जावें परन्तु आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण न हो सके तो ऐसी स्थिति में संबंधित आवेदक/आवेदकों के प्रोसेस फीस की राशि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के उपरान्त वापस की जावेगी।

8. (i) ऑन लाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन प्रणाली में आवेदक ऑन लाइन आवेदन करते समय अपनी व्यक्तिगत जानकारी की प्रविष्टि कर किसी जिले की एकाधिक समूहों के लिए आवेदन कर सकेगा। एक साथ एकाधिक समूहों में आवेदन जमा करने की स्थिति में आवेदित समूहों की संख्या के गुणांक में प्रोसेस फीस की कुल राशि आवेदक के बैंक खाते से ऑन लाईन ट्रान्सफर हो जावेगी।

(ii) ऑन लाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन प्रणाली में आवेदन करते समय आवेदकों की सुविधा के लिये जिलेवार/समूहवार विस्तृत जानकारी का "लिंक" पोर्टेबल डाक्यूमेंट फार्मेट (Pdf) में उपलब्ध रहेगा।

(iii) वर्ष 2015–16 के लिये कोई भी आवेदक (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) एक जिले में एक समूह के लिये एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

9. ऑन लाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन प्रणाली में आवेदन जमा करते समय निर्धारित प्रोसेस फीस की राशि की अदायगी पश्चात् ही संबंधित आवेदक का आवेदन जमा माना जावेगा। तत्पश्चात् 9 अंको का रेण्डम (Random) पंजीयन नम्बर की जानकारी आवेदक के मोबाईल नंबर में लघु संदेश सेवा (SMS) द्वारा एवं E-mail ID में E-mail संदेश के द्वारा भेजा जावेगा। रेण्डम नम्बर अक्षरांकीय (ALPHA-NUMERIC) होगा।

10. ऑन लाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन प्रणाली में ऑन लाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तथा समय पश्चात् समस्त आवेदकों के मोबाईल नंबर में वास्तविक पंजीयन नंबर की जानकारी लघु संदेश सेवा (SMS) के द्वारा तथा E-mail ID में E-mail संदेश के द्वारा भेजा जावेगा।

टीप :–वास्तविक पंजीयन नम्बर की जानकारी का प्रिंट आवेदक द्वारा किये गये आवेदन की प्राप्ति अभिस्वीकृति होगी।

11. ऑन लाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन प्रणाली में आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में मोबाइल नंबर एवं E-mail ID की गलत प्रविष्टि की जाती है अथवा तकनीकी कारणों से यदि विभाग द्वारा प्रेषित की जाने वाली लघु संदेश सेवा (SMS) व E-mail संदेश आवेदक को संसूचित नहीं हो पाती तो विभाग की कोई जवाबदारी नहीं होगी।

12. ऑन लाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन प्रणाली में आवेदक ऑन लाइन आवेदन जमा करने के पश्चात् अपने आवेदन का प्रिन्ट निकालकर सुरक्षित रख सकते है।

13. ऑन लाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन प्रणाली में आवेदन जमा करने के पश्चात् भी आवेदक अपने आवेदन पत्र की विस्तृत जानकारी उपरोक्त वेब साइट में जाकर PAN एवं जन्म तिथि की प्रवृष्टि कर ऑन लाइन प्राप्त कर सकते है।

14. ऑन लाइन प्रकिया के तहत आवेदन प्रणाली के अन्तर्गत देशी/विदेशी मदिरा दुकानों/समूहों के व्यवस्थापन प्रणाली के तहत चयनित प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आवेदकों को अपने आवेदन पत्र में वर्णित जानकारियों के समर्थन में मूल अभिलेखों के साथ चयन के तीन कार्य दिवस के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

15. आवेदकों की सुविधा के लिए विभाग के वेबसाइट में ऑन लाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया से संबंधित **सचित्र यूजर मेंनुअल** उपलब्ध कराया गया है।

16. **ऑन लाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन प्रणाली में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को होने वाली किसी भी असुविधा/तकनीकी असुविधा के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।**

17. **ऑन लाइन आवेदन प्रकिया के तहत अपरिहार्य स्थिति में निर्धारित तिथियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार राज्य शासन के पास सुरक्षित रहेगा।**

18. ऑन लाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन प्रणाली के अन्तर्गत कोई भी आवेदक राज्य के किसी भी जिला से ऑन लाइन आवेदन प्रक्रिया से संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते है। ऑन लाइन आवेदन प्रकिया के तहत आवेदकों की सुविधा के लिए विभाग द्वारा कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर में हेल्प लाईन नम्बर **0771–4287925 एवं 0771–4287928** प्रारंभ किया गया है, जिसमें इच्छुक आवेदक अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रातः 10:00 बजे से संध्या 05:00 बजे तक ऑन लाइन आवेदन प्रकिया के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता है।

10/ **(अ) चयन प्रक्रिया** :–

(10.1) वर्ष 2015–16 के लिए किसी **देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूह के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा "कम्प्यूटर के माध्यम से लॉटरी" निकालकर दुकान/समूहों के अनुज्ञापी (लायसेंसी) का चयन किया जावेगा। व्यवस्थापन** नियम, 2002 के नियम 10 के अनुसार यह कार्यवाही निम्नांकित समिति के समक्ष की जावेगी :–

(i)	संबंधित जिले के कलेक्टर	अध्यक्ष
(ii)	संबंधित जिले के उपायुक्त आबकारी/ सहायक आयुक्त आबकारी/ जिला आबकारी अधिकारी /पदेन, जिला आबकारी अधिकारी	सदस्य, सचिव

(10.2) चयनित आवेदक को निम्नानुसार दर्शाई गई समय–सीमा में अग्रिम लायसेंस फीस तथा प्रतिभूति धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा :–

(i) **माह अप्रैल, 2015** की लायसेंस फीस अग्रिम के रूप में **दिनांक 27 मार्च, 2015** तक जमा करना अनिवार्य होगा। यह राशि नगद/ राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा

शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक के कैश ऑर्डर के रूप में जमा की जा सकती है।

(ii) चयनित समूह के लिए निर्धारित वार्षिक लायसेंस फीस के 1/12वें भाग के बराबर धनराशि, नगद अथवा बैंक गारंटी के रूप में तथा वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि के 1/12वें भाग के बराबर प्रतिभूति (Security Deposit) की धनराशि नगद/राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट /बैंकर्स चैक/बैंक के कैश ऑर्डर के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय **ड्यूटी राशि का 1/12वें भाग के बराबर** प्रतिभूति धनराशि आवेदक को अपने चयन की सूचना प्राप्ति के **दो कार्य दिवस** के अंदर जमा करना होगा। **वार्षिक लायसेंस फीस के 1/12वें भाग के बराबर** प्रतिभूति धनराशि **दिनांक 30 अप्रैल, 2015** तक जमा करना अनिवार्य होगा।

(iii) उपरोक्तानुसार जमा की जाने वाली धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के कैश ऑर्डर के रूप में अथवा नगद राशि विभाग के **"मुख्य शीर्ष 0039–राज्य उत्पादन शुल्क, 800–अन्य प्राप्तियाँ, 0761–विविध प्राप्तियाँ (देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूह हेतु प्रोसस फीस)"** के मद में चालान द्वारा जमा कराई जाकर, बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के कैश ऑर्डर अथवा चालान की मूलप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(10.3) किसी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूह के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा कम्प्यूटर के माध्यम से लॉटरी निकालकर दुकान/समूहों के अनुज्ञापी (लायसेंसी) का चयन किया जायेगा। कम्प्यूटर द्वारा लॉटरी निकालने का कार्य राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (N.I.C.) द्वारा तैयार किए गए सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा एवं इस हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (N.I.C.) के जिला स्तरीय अधिकारी कलेक्टर को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। इस प्रणाली में तीन आवेदकों का चयन (प्रथम, व्दितीय एवं तृतीय) किया जायेगा।

(10.4) यदि प्रथम चयनित आवेदक द्वारा अपने चयन के दो कार्य दिवस के भीतर उप–कंडिका (10.2) (ii) के अनुसार वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि का 1/12वाँ भाग प्रतिभूति के लिए जमा नहीं किया जाता है अथवा अन्य किसी कारण से उसका चयन निरस्त हो जाता है, तो चयन सूची के दूसरे क्रम पर आए आवेदक को संबंधित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान के समूह का आबंटन किया जा सकता है।

(10.5) इसी प्रकार यदि दूसरे क्रम के आवेदक के द्वारा भी अपने चयन के दो कार्य दिवस के भीतर उप–कंडिका (10.2) (ii) के अनुसार वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि का 1/12वाँ भाग प्रतिभूति के लिए जमा नहीं किया जाता है अथवा अन्य किसी कारण से उसका चयन निरस्त हो जाता है, तो चयन सूची के तीसरे क्रम पर आए आवेदक को संबंधित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान के समूह का आबंटन किया जा सकता है। अन्यथा स्थिति में समूह के पुनर्आबंटन की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।

(10.6) जिलों में स्थित देशी/विदेशी मदिरा दुकान/दुकानों के समूहों को आवेदन पत्र प्रणाली में आबंटन की कार्यवाही यदि किसी कारणवश नियत तिथि को पूरी नहीं होती है, तो आबंटन हेतु शेष रही दुकानों/समूहों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की **कार्यवाही** आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत उस जिले के कलेक्टर द्वारा आबकारी आयुक्त के परामर्श पश्चात् अन्य घोषित किसी भी दिन की जा सकेगी, जिसके लिए सम्बन्धित जिले के कलेक्टर द्वारा संक्षिप्त विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जावेगा।

(10.7) वर्ष 2014–15 के लिए देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूहों के चयन की सम्पूर्ण कार्यवाही के लिए वीडियोग्राफी कराई जाना आवश्यक रखा गया था, ताकि चयन के समय या इसके पश्चात् होने वाली शिकायतों आदि की जाँच एवं निराकरण के लिए प्रमाण रखा जा सके। इसके लिए यह निर्धारित किया गया था कि, कलेक्टर द्वारा अपने जिले के लिए नियत तिथि को चयन प्रक्रिया की सम्पूर्ण कार्यवाही के लिए **वीडियोग्राफी** करवाई जावे तथा **वीडियोग्राफी में 4 सी.डी.** तैयार करवाई जावे, जिसमें से एक सी.डी. जिला स्तर पर, एक सी.डी. राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र की जिला इकाई में सुरक्षित रखी जाकर तथा 2 सी.डी. मुख्यालय भेजने की व्यवस्था की जाये। **यह व्यवस्था आगामी वर्ष 2015–16 के लिए यथावत् लागू रहेगी।**

(ब) कम्प्यूटर द्वारा लॉटरी निकालने की प्रक्रिया :–

(10.8) कम्प्यूटर के माध्यम से लॉटरी निकालने के लिए सर्वप्रथम जिले का कोड क्रमांक, जो प्रथम दो अंकों का होगा, इसके बाद समूह का अनुक्रमांक, जो व्दितीय दो अंकों का होगा एवं तत्पश्चात् आवेदन क्रमांक, जो **तृतीय पांच अंकों** का होगा, अंकित रहेगा, तदनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों को उनके जिले के नाम के समक्ष दर्शाए अनुसार कोड क्रमांक निम्नानुसार आबंटित किया जाता है :–

क्रमांक	जिले का नाम	आबंटित कोड नम्बर
1.	2.	3.
1.	रायपुर	01
2.	दुर्ग	02
3.	राजनांदगांव	03
4.	धमतरी	04

5.	महासमुंद	05
6.	कबीरधाम	06
7.	बस्तर	07
8.	नारायणपुर	08
9.	उ.ब.काँकेर	09
10.	द.ब.दन्तेवाड़ा	10
11.	बीजापुर	11
12.	बिलासपुर	12
13.	कोरबा	13
14.	जांजगीर–चाँपा	14
15.	रायगढ़	15
16.	जशपुर	16
17.	सरगुजा	17
18.	कोरिया	18
19.	बालौदाबाजार–भाटापारा	19
20.	गरियाबंद	20
21.	बालोद	21
22.	बेमेतरा	22
23.	मुंगेली	23
24.	बलरामपुर–रामानुजगंज	24
25.	सूरजपुर	25
26.	कोंडागांव	26
27.	सुकमा	27

(10.9) आवेदकों के द्वारा दिए जाने वाले आवेदनों के लिए जिला आबकारी कार्यालय में समूहवार पंजी संधारित की जावेगी। समूहवार संधारित पंजी में प्राप्त आवेदन पत्र पर पहले जिले का कोड क्रमांक, तत्पश्चात् समूह का अनुक्रमांक फिर प्राप्त आवेदन पत्र का क्रमांक क्रमशः अंकित किया जाकर, आवेदन पत्र के ऊपर दर्शित किया जावेगा।

(10.10) आवेदकों के द्वारा आवेदन किये जाने पर उनके आवेदन पत्र के लिए, जो वास्तविक पंजीयन नम्बर (प्राप्ति अभिस्वीकृति) दिया जावेगा, उस वास्तविक पंजीयन नम्बर में जिले का कोड क्रमांक, समूह का अनुक्रमांक एवं आवेदन पत्र का क्रमांक (पंजी में जिस नम्बर में पंजीयन किया जावेगा), जो उस समूह/आवेदक के लिए सम्पूर्ण कोड क्रमांक कहलायेगा, अंकित किया जाकर, वास्तविक पंजीयन नम्बर दिया जावेगा। उदाहरण के लिए किसी जिले का कोड क्रमांक 01, समूह का अनुक्रमांक–07 व आवेदन पत्र का क्रमांक 115 है, तो उसे इस प्रकार अंकित किया जावेगा :–

010700115

अन्य उदाहरण :–

051200999

090201121

121908999

(10.11) जिन समूहों के लिए एक ही आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, उन समूहों को सर्वप्रथम चयन के लिए घोषित किया जावेगा, तत्पश्चात् जिन समूहों के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, उन समूहों के लिए **बढ़ते क्रम से** प्राप्त आवेदन पत्र अनुसार समूहों के चयन की प्रक्रिया अपनाई जावेगी, अर्थात् जिस समूह में कम आवेदन पत्र रहेंगे, उन समूहों को पहले, इसी प्रकार बढ़ते क्रम के आवेदन पत्रों की संख्या के अनुसार समूहों के चयन की कार्यवाही की जावेगी।

(10.12) आपके जिले के लिए लॉटरी निकालने की नियत तिथि के पूर्व समस्त प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची कलेक्टर/जिला आबकारी कार्यालय के सूचना पटल पर सभी आवेदकों के अवलोकन के लिए प्रदर्शित की जावेगी, जिसमें भी उपरोक्तानुसार कोड नम्बरों की जानकारी अंकित रहेगी। लॉटरी निकालने के पूर्व पूर्ण–सूची कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का उत्तरदायित्व संबंधित जिले के उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी/पदेन, जिला आबकारी अधिकारी का होगा।

(10.13) लॉटरी निकालने के दिवस को लॉटरी द्वारा चयन प्रक्रिया के स्थल पर केवल उन्हीं आवेदकों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को प्रवेश दिया जावे, जिनके पास संबंधित समूह के लिए किए गए आवेदन पत्र की विधिवत् प्राप्ति अभिस्वीकृति हो।

(10.14) उक्त निर्देश की **कंडिका 1** की उप–कंडिका (1.3) के अनुसार एक आवेदक/फर्म/कम्पनी को किसीं भी जिले में केवल **दो समूह** की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का आबंटन किया जा सकता है। अतः इसके लिए यह आवश्यक है कि, सबसे पहले जिन समूहों में कम आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, पहले उन समूहों के चयन की कार्यवाही की जावे, ताकि पहले घोषित समूहों में यदि किसी आवेदक को दो समूह आबंटित हो जाते हैं, तो अगले समूह के चयन की प्रक्रिया में उसका चयन होने पर विचार करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होगा तथा अगले क्रम पर आने वाले आवेदक से प्रथम, व्दितीय, तृतीय आवेदक का चयन किया जा सकेगा।

(10.15) कम्प्यूटर के माध्यम से लॉटरी निकालने में भी नम्बरों का प्रयोग करते समय सर्वप्रथम जिले का कोड क्रमांक, जो प्रथम दो अंकों का होगा, इसके बाद समूह का अनुक्रमांक, जो व्दितीय दो अंकों का होगा एवं तत्पश्चात् आवेदन पत्र क्रमांक, जो **तृतीय पांच अंकों** का होगा, अंकित किया जाकर, लॉटरी निकालने की प्रक्रिया अपनाई जायेगी। आपके द्वारा यह सुनिश्चित् किया जावे कि, कम्प्यूटर के माध्यम से लॉटरी निकालने में आवेदकों के चयन की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे तथा

litigation की स्थिति निर्मित न हो। समस्त समूहों के लॉटरी प्रक्रिया का कार्य विवरण तथा उससे संबंधित दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखे जावें। चयन उपरांत चयन की कार्यवाही का विवरण इस कार्यालय को **तीन दिवस के भीतर भेजा जावे।**

(स) आवेदन पत्र की प्रविष्टि तथा लॉटरी प्रक्रिया :–

(10.16) वर्ष 2015–16 के लिए देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों/समूहों के आबंटन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रविष्टि तथा कम्प्यूटर द्वारा लॉटरी निकालने के संबंध में निम्नांकित बिन्दुओं का पालन सुनिश्चित् किया जाये :–

(i) वर्ष 2015–16 के लिए जिले के समूहों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का सूक्ष्मता पूर्वक परीक्षण किया जाये तथा जो आवेदन पत्र परीक्षण उपरांत निरस्त किये जाते हैं, उनके पर्याप्त कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाये।

(ii) परीक्षण उपरांत वैध पाए गए आवेदन पत्रों की सूची निकाली जावे एवं सूचना पटल पर लगाई जावे। तत्पश्चात कम्प्यूटर द्वारा लॉटरी निकालने के पूर्व **डाटा में किसी तरह की त्रुटि न हो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित जिले के उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/ जिला आबकारी अधिकारी/पदेन जिला आबकारी अधिकारी की होगी।**

(iii) डाटा एन्ट्री कक्ष में केवल अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी ही प्रवेश कर सकते हैं एवं किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित किया जावे।

(iv) कलेक्टोरेट परिसर, जहाँ पर कम्प्यूटर के माध्यम से लॉटरी निकाली जावेगी, वहाँ कम्प्यूटर से लॉटरी निकालने की प्रक्रिया को सभी आवेदकों की सहूलियत के लिए बड़े परदे पर दिखाया जाये।

(v) चयन के दिन कम्प्यूटर द्वारा लॉटरी का वास्तविक ड्रा निकालने के पूर्व आवेदकों को ड्रा निकालने संबंधी प्रक्रिया की जानकारी दी जावे एवं उनके समक्ष **छद्म ड्रा (मॉक डिमास्ट्रेशन)**, जितनी बार आवश्यक हो, किन्तु कम से कम **तीन बार** अवश्य कराया जाये, ताकि कोई आवेदनकर्ता संशय की स्थिति में न रहे। इस संबंध में **आबकारी आयुक्त की ओर से आम सूचना भी प्रकाशित की जावेगी**, लेकिन आपके जिले के लिए निर्धारित समय एवं स्थान की सूचना आप पृथक से विज्ञप्ति/विज्ञापन के रूप में जारी करें।

(vi) छद्म ड्रा (मॉक डिमास्ट्रेशन) कराने की प्रक्रिया एवं जितनी बार छद्म ड्रा (मॉक डिमास्ट्रेशन) कराया जाये, उस समय उपस्थित आवेदकों/अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यवाही विवरण तैयार किया जावेगा। इसी तरह वास्तविक ड्रा की कार्यवाही का विवरण भी जिस समय प्रक्रिया प्रारम्भ की गई हो, उस समय से

प्रक्रिया के अंत तक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण तैयार किया जावे। यह कार्यवाही विवरण फैक्स/**ई–मेल** द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर को उसी दिन अनिवार्य रूप से भेजा जावे।

(vii) प्रत्येक समूह का ड्रा निकालने के पश्चात् उसका प्रिन्ट आउट निकाला जाये तथा उस पर कलेक्टर एवं जिले के उपायुक्त आबकारी / सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाये। यदि संबंधित समूह के चयनित आवेदकों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि लॉटरी स्थल पर उपस्थित हों तो, उनके भी हस्ताक्षर लिए जावें। **प्रिन्ट आउट की मूल प्रति सील कर सुरक्षित रखी जावे।**

11/ <u>देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूह की लायसेंस फीस एवं वसूली</u> :–

(11.1) चयनित आवेदक को माह अप्रैल, 2015 की लायसेंस फीस अनुज्ञप्ति जारी होने के पूर्व अर्थात् 27 मार्च, 2015 तक जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त लायसेंस फीस की राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के कैश आर्डर के रूप में अथवा नगद जमा की जा सकती है। वर्ष 2015–16 के लिए देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूह के लिए निर्धारित लायसेंस फीस को 12 समान किश्तों में जमा कराने का प्रावधान यथावत् रहेगा। 12 समान किश्तों में लायसेंस फीस विभाजित न होने पर, अविभाज्य राशि माह अप्रैल, 2015 की लायसेंस फीस में जोड़ी जावेगी। **सामान्य लायसेंस शर्त 2(1) के अनुसार लायसेंस फीस** की मासिक अंशिका माह के प्रथम कार्य दिवस को देय होकर जमा किया जाना अनिवार्य है। यह प्रावधान नियमों में वर्णित है, **किन्तु लायसेंसी को 10 कार्य दिवस का grace period रहेगा।**

(11.2) देशी/विदेशी मदिरा समूह के अनुज्ञप्तिधारी से लायसेंस फीस की वसूली को सुनिश्चित् करने के लिए चयनित आवेदक को निर्धारित वार्षिक लायसेंस फीस के 1/12वें भाग के बराबर धनराशि प्रतिभूति दिनांक 30 अप्रैल, 2015 तक नगद अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की **बैंक गारंटी** के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। यह प्रतिभूति की राशि सम्बन्धित लायसेंसी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की बकाया न रहने की दशा में **माह मार्च, 2016 की देय मासिक अंशिका** के विरूद्ध समायोजन योग्य होगी।

12/ **देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूह हेतु प्रतिभूति जमा** :–

वर्ष 2014–15 के लिए प्रदेश में स्थित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूह के लिए प्रतिभूति धनराशि उस दुकान/समूह की **दुकानों की वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि का 1/12वाँ भाग अर्थात् मदिरा दुकानों के समूह/दुकान की एक माह के लिए निर्धारित मदिरा के उठाव की मात्रा के समतुल्य देय ड्यूटी राशि रखी गई थी, जो आगामी वर्ष 2015–16 के लिए यथावत् रहेगी।** चयनित आवेदक को उक्त 1/12 भाग की राशि उसके चयन होने के **दो कार्य दिवस के भीतर** किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के कैश आर्डर के रूप में अथवा नगद जमा करना अनिवार्य होगा, जो सम्बन्धित दुकान/समूह की किसी–भी प्रकार की बकाया न होने की दशा में वापसी योग्य होगी।

13/ **देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूह हेतु माहवार न्यूनतम उठाव मात्रा का निर्धारण** :–

वर्ष 2015–16 के लिए देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों हेतु न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का माहवार उठाव निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :–

क्रमांक	माह का नाम	माह हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा	
		देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा (स्प्रिट)	माल्ट मदिरा (बीयर)
1.	2.	3.	4.
1.	अप्रैल	वार्षिक मात्रा का 9%	वार्षिक मात्रा का 15%
2.	मई	वार्षिक मात्रा का 10%	वार्षिक मात्रा का 15%
3.	जून	वार्षिक मात्रा का 9%	वार्षिक मात्रा का 13%
4.	जुलाई	वार्षिक मात्रा का 7%	वार्षिक मात्रा का 6%
5.	अगस्त	वार्षिक मात्रा का 7%	वार्षिक मात्रा का 6%
6.	सितम्बर	वार्षिक मात्रा का 7%	वार्षिक मात्रा का 6%
7.	अक्टूबर	वार्षिक मात्रा का 8%	वार्षिक मात्रा का 6%
8.	नवम्बर	वार्षिक मात्रा का 8%	वार्षिक मात्रा का 5%
9.	दिसम्बर	वार्षिक मात्रा का 9%	वार्षिक मात्रा का 5%
10.	जनवरी	वार्षिक मात्रा का 9%	वार्षिक मात्रा का 6%
11.	फरवरी	वार्षिक मात्रा का 9%	वार्षिक मात्रा का 9%
12.	मार्च	वार्षिक मात्रा का 8%	वार्षिक मात्रा का 8%

14/ **भण्डारण–भाण्डागार खोलना/बंद करना** :–

राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार आगामी वर्ष 2015–16 के लिए राज्य के किसी भी जिले में नवीन भण्डारण भांडागार नहीं खोला जावेगा और न ही बंद किया जावेगा।

15/ **<u>सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा प्रदाय का अनुपात</u>** :–

(15.1) वर्ष 2015–16 के लिए प्रदेश में स्थित देशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूहों को भण्डारण भांडागार से बोतल, अद्धा, पाव की शीशीयों में देशी मदिरा का प्रूफ लीटर में प्रदाय का अनुपात वर्ष 2014–15 की भांति 08:22:70 रहेगा।

(15.2) **वर्ष 2014–15 की भांति आगामी वर्ष 2015–16 में फुटकर अनुज्ञप्तिधारक प्रति पेटी मदिरा की निर्धारित कीमत देशी मदिरा के प्रदाय संविदाकार को भुगतान कर संबंधित भण्डारण –भाण्डागार से देशी मदिरा का प्रदाय लेगा।**

(15.3) वर्ष 2010–11 में देशी मदिरा की काँच की बोतलों का विशिष्ट मानकीकरण किया गया है, जिसके तहत काँच की बोतल को गोल आकार (Round shape) में रखा गया है तथा प्रत्येक माप की बोतल में **"छ.ग.आब.दे.म."** तथा बोतल माप जैसे–बोतल में "750 ml", अद्धी में "375 ml." एवं पाव में "180 ml" उत्कीर्ण (Embossed) किया गया है। इसके अतिरिक्त **वर्ष 2014–15 में देशी मदिरा की शीशीयों** में ढक्कन और होलोग्राम के ऊपर **"Plastic trasparent sealing cap"** लगाये जाने का प्रावधान किया गया है जो आगामी वर्ष 2015–16 के लिए **यथावत् रहेगी।**

(16) **<u>देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के लिए अभिकर्ताओं की नियुक्ति</u>** :–

देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के संचालन के लिए लायसेंसियों द्वारा अभिकर्ताओं/नौकरों को रखा जाता है तथा ऐसे अभिकर्ता/नौकर का नौकरनामा संबंधित जिले के उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के अनुमोदन से मंजूर किया जाता है। अनुभव में यह आया है कि, लायसेंसियों द्वारा दुकान प्रारम्भ करने के काफी लम्बे समय बाद अभिकर्ताओं/नौकरों की नियुक्ति हेतु आवेदन दिया जाता है, फलस्वरूप उक्त नियमों के उल्लंघन में यद्यपि प्रकरण कायम कर शास्ति अधिरोपित की जाती है, किन्तु यह प्रक्रिया दुकानों के सफल संचालन के लिए उपयुक्त नहीं होने से राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार **वर्ष 2014–15 की तरह आगामी वर्ष 2015–16 में भी** मदिरा दुकानों के प्रारम्भ होने के पूर्व संबंधित चयनित आवेदक द्वारा अपनी देशी अथवा विदेशी मदिरा दुकान के लिए अभिकर्ता की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र संबंधित जिले के उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा संबंधित जिले में विधिवत् कार्यवाही एवं आवश्यक जाँचोपरान्त **फोटोयुक्त नौकरनामा 15 अप्रैल तक मंजूर किये जायेंगे।**

(17) <u>निरीक्षण पुस्तिका</u> :–

(17.1) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के अन्तर्गत निर्मित सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक 22 में निरीक्षण पुस्तिका रखने के प्रावधान निहित हैं, जिसके अनुसार मदिरा दुकान का लायसेंसी दुकान में एक निरीक्षण पुस्तिका रखेगा और दुकान के निरीक्षण के समय सशक्त अधिकारी के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा।

(17.2) छत्तीसगढ़ **आबकारी अधिनियम, 1915** के अंतर्गत निर्मित **सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक 20 में** लेखा पंजी रखने का प्रावधान निहित है, जिसके अनुसार मदिरा दुकान का लायसेंसी, दुकान में लेखा पंजी रखेगा और दुकान के निरीक्षण के समय सशक्त अधिकारी के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा।

(17.3) राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार **वर्ष 2014–15 की तरह आगामी वर्ष 2015–16 में भी** मदिरा दुकान के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उनकी दुकान में मदिरा की प्रारम्भिक बचत, आमद, बिक्री, टूट–फूट एवं अंतिम बचत की मासिक विवरणी, जो देशी मदिरा के लिए मसाला, प्लेन एवं रासी तथा विदेशी मदिरा के लिए ब्राण्ड/लेबलवार होगी, आगामी माह की 05 तारीख तक संबंधित क्षेत्र के वृत्त प्रभारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही ऐसी विवरणी और अन्य सूचनाएँ जो समय–समय पर संबंधित जिले के उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अपेक्षित की जायें, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी जायेंगी।

(17.4) वर्ष 2015–16 का अनुज्ञप्तिधारी, निर्धारित कीमत का भुगतान कर निरीक्षण पुस्तिका एवं लेखा पंजी संबंधित जिले के उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/ जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर, दुकान में संधारित करेगा।

(18) <u>मदिरा दुकानों के साईन बोर्ड</u> :–

(18.1) छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 के अन्तर्गत देशी मदिरा दुकान हेतु **सी.एस.2घ लायसेंस शर्त 13** एवं विदेशी मदिरा दुकान हेतु **एफ.एल.1घ लायसेंस शर्त 9** में साईनबोर्ड लगाने का प्रावधान है, जिसके अनुसार अनुज्ञप्तिधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर एक सहज दृश्य साईनबोर्ड लगायेगा, जिस पर अनुज्ञप्तिधारी का नाम, देशी अथवा विदेशी मदिरा का अनुज्ञप्तिधारी फुटकर विक्रेता, दुकान की अवस्थिति, लायसेंस की अवधि तथा लायसेंस प्राधिकारी द्वारा विहित अन्य सूचनाएं भी मोटे अक्षरों में अंकित की जायेंगी।

(18.2) इस प्रकार देशी मदिरा दुकान एवं विदेशी मदिरा दुकान हेतु साईनबोर्ड लगाने के प्रावधान हैं, किन्तु साईनबोर्ड के आकार–प्रकार, साईज, लिखावट आदि के संबंध में स्पष्ट व्याख्या न होने से अधिकांश लायसेंसी मनमाने तौर पर साईनबोर्ड लगा रहे हैं

तथा साईनबोर्ड के साथ–साथ ग्लोसाईनबोर्ड भी लगा रहे हैं, जो प्रचार–प्रसार करने की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

(18.3) राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार, **सी.एस.2घ अनुज्ञप्ति की शर्त क्रमांक 13** में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया है कि, अनुज्ञप्तिधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर एक सहज दृश्य साईनबोर्ड, जिसका आकार **3 फुट x 2** फुट का होगा, प्रदर्शित करेगा, जिसमें अनुज्ञप्तिधारी का नाम, दुकान का प्रकार एवं नाम, दुकान खुलने एवं बंद होने का समय, दुकान की अवस्थिति तथा लायसेंस की अवधि एवं **वर्तमान में निर्धारित मदिरा विक्रय दर** अंकित होगी। साईनबोर्ड में लिखावट के लिए **साईनबोर्ड की शीट लाल रंग** एवं **अक्षर सफेद रंग** से अंकित किए जावेंगे। इसी प्रकार **एफ.एल.1घ अनुज्ञप्ति की शर्त क्रमांक 9** में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया है कि, अनुज्ञप्तिधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर एक सहज दृश्य साईनबोर्ड, जिसका आकार **3 फुट x 2 फुट** का होगा, प्रदर्शित करेगा, जिसमें अनुज्ञप्तिधारी का नाम, दुकान का प्रकार एवं नाम, दुकान खुलने एवं बंद होने का समय, दुकान की अवस्थिति तथा लायसेंस की अवधि अंकित होगी। साईनबोर्ड में लिखावट के लिए **साईनबोर्ड की शीट लाल रंग** एवं **अक्षर सफेद रंग से अंकित** किए जावेंगे तथा अनुज्ञप्तिधारी दुकान के विक्रय काउंटर पर विदेशी मदिरा की वर्तमान में निर्धारित **न्यूनतम फुटकर विक्रय** दरें एवं **अधिकतम फुटकर विक्रय** दरें **प्रदर्शित** करते हुये एक सहज दृश्य मूल्य तालिका प्रदर्शित करेगा।

(19) **<u>वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बचत मदिरा स्कंध को स्थानांतरित/हस्तांतरित करने पर फीस अरोपित करना</u>** :–

राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार आगामी वर्ष 2015–16 से अनुज्ञप्तिधारी लायसेंस अवधि की समाप्ति पर देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा के अतिशेष स्टाक के व्ययन (Disposal) के फलस्वरूप, स्थानांतरित/हस्तांतरित की जाने वाली मदिरा की मात्रा पर तत्समय देय ड्यूटी राशि के 10% (दस प्रतिशत) के बराबर, धनराशि का भुगतान करेगा, जिसका समायोजन वित्तीय वर्ष 2015–16 की ड्यूटी राशि/लायसेंस फीस में नहीं किया जावेगा तथा स्थानांतरित/हस्तांतरित की जाने वाली मदिरा की मात्रा का भी समायोजन आगामी वर्ष हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में नहीं किया जावेगा।

(20) **<u>वित्तीय वर्ष में मदिरा दुकान के संचालन के दौरान किसी समूह की एक दुकान से दूसरे दुकान में मदिरा परिवहन की अनुमति</u>** :–

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2014–15 में देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूह के

अनुज्ञप्तिधारी को, उसके समूह की किसी मदिरा दुकान में आवश्यकता से अधिक मदिरा की मात्रा संग्रहित होने पर, उसे समूह की उसी प्रकार की अन्य मदिरा दुकान में स्थानांतरित (Transfer) करने की अनुमति निम्नानुसार दर से फीस के भुगतान पर, संबंधित जिले के उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/ जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आवश्यक जाँचोपरान्त दिये जाने के निर्देश दिये गये थे। **जो आगामी वर्ष 2015–16 के लिए यथावत् रहेगें :–**

(1) देशी मदिरा रुपये **1.50** प्रति प्रूफलीटर

(2) विदेशी मदिरा (स्प्रिट) रुपये **2.00** प्रति प्रूफलीटर

(3) विदेशी मदिरा (माल्ट) रुपये **1.00** प्रति बल्क लीटर

(21) <u>**विदेशी मदिरा एफ.एल.1घ फुटकर दुकानों को अतिरिक्त गोदाम की सुविधा**</u> :–

(21.1) शहरी क्षेत्रों में विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की बढ़ती हुई न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (मिनिमम गारंटी) के कारण वर्तमान समय पर दुकानों में संग्रहण करने में असुविधा हो रही है तथा क्षेत्रों में दुकानें छोटी होने एवं सहज उपलब्ध न होने के कारण भी संग्रहण में काफी कठिनाई होती है इस कारण से लायसेंसी को बारंबार परिवहन परमिट प्राप्त करना होता है। इस समस्या के निदान हेतु अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शहरी क्षेत्र में स्थित विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों को अतिरिक्त गोदाम की सुविधा प्रदान करने की मांग की गई है।

(21.2) राज्य शासन द्वारा वर्ष 2014–15 में केवल शहरी क्षेत्रों में स्थित विदेशी मदिरा दुकानों में विदेशी मदिरा के भण्डारकरण के लिए दुकान के अनुमोदित परिसर में पर्याप्त स्थान न होने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी की मांग पर संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा आवश्यक जाँचोपरान्त अनुज्ञप्तिधारी को दुकान के अनुमोदित परिसर से 100 मीटर की परिधि में स्थित गोदाम में विदेशी मदिरा के भण्डारकरण हेतु अनुज्ञा दिये जाने के निर्देश दिये गये थे। यह व्यवस्था आगामी वर्ष 2015–16 हेतु यथावत् रहेगी। लायसेंसी को अतिरिक्त गोदाम की स्वीकृति पर अनुमोदित परिसर का उल्लेख अनुज्ञप्ति में किया जाएगा।

(21.3) यदि शहरी क्षेत्रों में स्थित विदेशी मदिरा दुकानों के अनुज्ञप्तिधारी को उक्त शर्त अनुसार अनुमोदित दुकान परिसर के साथ–साथ किसी गोदाम में विदेशी मदिरा के भण्डारकरण की अनुमति दी गई है, तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसे गोदाम में भण्डारित समस्त विदेशी मदिरा का नामपत्र वार (लेबल वाईज) दिन प्रतिदिन का सही हिसाब रखेगा। विदेशी मदिरा का गोदाम से अनुज्ञप्तिधारी की दुकान के परिसर तक परिवहन, प्राधिकृत अधिकारी, जो आबकारी उप–निरीक्षक के पद से निम्न पद श्रेणी का नहीं होगा, द्वारा जारी किये गये

पास के द्वारा किया जाएगा। गोदाम तथा दुकान के बीच विदेशी मदिरा के अंतरण को दुकान तथा गोदाम में रखी गई स्टॉक–पुस्तिकाओं में स्पष्टतः दर्शित किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विदेशी मदिरा का गोदाम से मदिरा का विक्रय नहीं किया जायेगा, इसे सुनिश्चित् करने का उत्तरदायित्व संबंधित क्षेत्र के वृत्त प्रभारी का होगा।

22/ <u>शुष्क दिवस</u> :–

(22.1) वर्तमान वर्ष 2014–15 की भाँति **आगामी वर्ष 2015–16** में प्रदेश में स्थित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के साथ–साथ एफ.एल. 2, 3, 3क, 4, 4क, 6, 7, 8 एवं 10 को निम्नानुसार दिवसों में शासन द्वारा घोषित शुष्क दिवसों पर बंद रखा जावेगा :–

क्रमांक	शुष्क दिवस	संख्या दिवस
1.	2.	3.
1.	26 जनवरी " गणतंत्र दिवस"	1 दिवस
2.	15 अगस्त "स्वतंत्रता दिवस"	1 दिवस
3.	02 अक्टूबर "गांधी जयंती"	1 दिवस
4.	30 जनवरी "महात्मा गांधी निर्वाण दिवस"	1 दिवस
5.	मोहर्रम	1 दिवस
6.	होली (जिस दिन रंग खेला जाय)	1 दिवस
7.	18 दिसम्बर "गुरू घासीदास जयंती"	1 दिवस

(22.2) उक्त के अतिरिक्त कलेक्टर को यह भी अधिकार हैं कि, वे वित्तीय वर्ष के दौरान किन्हीं भी तीन दिवसों में उनके जिले/क्षेत्र की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों को बंद करने के आदेश दे सकते है। इसके अतिरिक्त लोकसभा/विधानसभा/स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं, जिसमें ग्राम पंचायत भी सम्मिलित है, के चुनाव/उप–चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मदिरा की दुकानों को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा–24 की उप–धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी लोकहित में बंद करने के लिए सक्षम हैं।

23/ <u>देशी मदिरा की तेजी</u> :–

वर्ष 2015–16 के लिए देशी मदिरा प्रदाय की तेजी निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

क्रमांक	मदिरा का प्रकार	निर्धारित तेजी
1.	मसाला मदिरा	25.0 यू.पी.
2.	प्लेन मदिरा	50.0 यू.पी.
3.	रासी मदिरा	60.0 यू.पी.

24/ <u>देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के खुलने का समय</u> :–

छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के **व्यवस्थापन नियम, 2002 के नियम 19** सहपठित **सी.एस.2घ लायसेंस शर्त क्रमांक 11** एवं **एफ.एल.1घ लायसेंस शर्त क्रमांक 17** में वर्ष 2014–15 में देशी मदिरा व विदेशी मदिरा दुकानों के खुलने का समय **प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक** निर्धारित है। इस व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए आगामी वर्ष 2015–16 में देशी मदिरा व विदेशी मदिरा दुकानों के खुलने का समय **प्रातः 10.30 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक** निर्धारित किया गया है।

25/ <u>अधिकतम एवं न्यूनतम विक्रय दरों का निर्धारण</u> :– छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के **व्यवस्थापन नियम, 2002 के नियम 17** के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 के लिए शासन द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा की दृष्टि से देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम फुटकर विक्रय दर नियत की जावेगी, **जिसमें 5% का अंतर रखा जावेगा।** देशी मदिरा तथा विदेशी मदिरा के शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम फुटकर बिक्री दर देशी मदिरा/विदेशी मदिरा प्रदायकर्ता द्वारा प्रत्येक प्रकार के नामपत्रों (लेबलों) पर अंकित किया जावेगा। अनुज्ञप्तिधारी, निर्धारित किए गए न्यूनतम विक्रय मूल्य से कम एवं निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं लेगा।

26/ <u>विदेशी मदिरा एफ.एल.1घ फुटकर दुकान को अहाता सुविधा</u> :–

(26.1) राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार आगामी वर्ष 2015–16 में विदेशी मदिरा एफ.एल.1घ की फुटकर दुकानों के अनुज्ञप्तिधारक को, उसके संलग्न परिसर में उपभोक्ताओं को मदिरा–पान के लिए नियमानुसार अहाता सुविधा दी जायेगी। विदेशी मदिरा की ऐसी दुकान के अनुज्ञप्तिधारक, जिन्हें विदेशी मदिरा के संलग्न परिसर में अहाता सुविधा दी जाएगी, वह दुकान/स्थान **सामान्य प्रयुक्त नियमों के नियम 1** के अन्तर्गत आपत्तिरहित स्थल पर स्थित होना अनिवार्य है, जिसके लिए आबकारी आयुक्त के पत्र क्रमांक/आब./ठेका./2010/1114, रायपुर दिनांक 08.04.2010 द्वारा पृथक से भी निर्देश जारी किये गये है। इसे सुनिश्चित् करने का उत्तरदायित्व संबंधित जिले के उपायुक्त आबकारी/ सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी का होगा।

(26.2) उक्त अनुज्ञप्ति, विदेशी मदिरा एफ.एल.1घ के अनुज्ञप्तिधारक को, उसकी विदेशी मदिरा दुकान के नियमानुसार आपत्तिरहित स्थल पर स्थापित होने एवं आवश्यक जाँचोपरान्त ही तथा अनुज्ञप्ति फीस के संदाय पर छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उप–नियम (1) के खण्ड (ककक) (यथासंशोधित) के अन्तर्गत संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की जायेगी। उक्त सुविधा केवल लायसेंस अवधि के लिए होगी

तथा इसे "अहाता सुविधा" कहा जायेगा। यह सुविधा पूर्णतः ऐच्छिक है।

(26.3) राज्य शासन द्वारा वर्ष 2014–15 के लिए एफ.एल.1ख (अहाता अनुज्ञप्ति) हेतु अनुज्ञप्ति फीस निम्नांकित सारणी में दर्शाए अनुसार निर्धारित है :–

सारणी

क्रमांक	अनुज्ञप्ति का प्रकार	अहाता की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस
1.	2.	3.
1.	एफ.एल.1ख अनुज्ञप्ति (अहाता अनुज्ञप्ति)	**विदेशी मदिरा दुकान की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का 3%**

सारिणी में दर्शित फीस आगामी वर्ष 2015–16 के लिये यथावत् रहेगी।

27/ देशी/विदेशी मदिरा के आहातों में डिस्पोजेबल ग्लास एवं पानी के पाऊच का उपयोग प्रतिषिद्ध करना :–

पर्यावरण एवं साफ–सफाई को ध्यान में रखते हुए देशी मदिरा दुकानों के आहातों तथा विदेशी मदिरा के स्वीकृत आहातों में डिस्पोजेबल ग्लास एवं पानी के पाऊच का उपयोग/विक्रय प्रतिषिद्ध रहेगा।

28/ विदेशी मदिरा की कीमत का भुगतान (सी.एस.बी.सी. का प्रदाय दर) :–

आगामी **वर्ष 2015–16** हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन को विदेशी मदिरा (स्प्रिट एवं माल्ट) की कीमत (प्रदाय दर) का भुगतान **ऑन–लाईन (on-line)** माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।

29/ एफ.एल.2/एफ.एल.3 (बार)/एफ.एल.3क(बार) एवं एफ.एल.4/4क (क्लब) अनुज्ञप्ति :–

वर्ष 2015–16 के लिए विदेशी मदिरा एफ.एल.2 रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति, एफ.एल.3 होटल बार, एफ.एल.3क शॉपिंग माल रेस्टोंरेट बार, एफ.एल.4 एवं एफ.एल.4क के अनुज्ञप्ति के संबंध में पृथक से आदेश प्रसारित किये जा रहे है।

30/ देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा के सीलबंद बोतलों में आयात एवं देशी/विदेशी मदिरा के विनिर्माण के लिए आर.एस./ई.एन.ए. के आयात पर शुल्क का निर्धारण :–

(30.1) सीलबंद बोतलों के लिए आयात शुल्क :–

(क) **देशी मदिरा के लिए** :–

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2014–15 से देशी मदिरा की सीलबंद बोतलों के अन्तर्राज्यीय आयात पर आयात शुल्क रुपये 6.00 प्रति प्रूफ लीटर निर्धारित है। **वर्ष 2015–16 के लिए** सीलबंद बोतलों में अन्तर्राज्यीय आयात पर आयात **शुल्क रुपये 6/– प्रति प्रूफ लीटर यथावत् रहेगी।**

वर्ष 2015–16 में देशी मदिरा की बाटलिंग, आसवनी परिसर स्थित देशी मदिरा विनिर्माण भण्डागार में की जाकर प्रदाय क्षेत्र के जिलों में स्थित भण्डारण भण्डागारों को सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा मास्टर कॉर्टन पैकिंग में प्रदाय करने की व्यवस्था यथावत् रहेगी।

(ख) विदेशी मदिरा के लिए :–

वर्ष 2014–15 से विदेशी मदिरा (स्प्रिट एवं माल्ट) के अन्तर्राज्यीय आयात पर आयात शुल्क क्रमशः **स्प्रिट के लिए 30/– प्रति प्रूफ लीटर** एवं **माल्ट के लिए 14/– प्रति बल्क लीटर** निर्धारित है। आगामी **वर्ष 2015–16** के लिए विदेशी मदिरा (स्प्रिट एवं माल्ट) के अन्तर्राज्यीय आयात पर आयात शुल्क वर्ष 2014–15 की भॉति यथावत् रहेगी।

(30.2) विदेशी मदिरा के विनिर्माण के लिए ई.एन.ए. के आयात पर आयात शुल्क :–

आगामी वर्ष 2015–16 में विदेशी मदिरा के विनिर्माण के लिए ई.एन.ए. के आयात पर आयात शुल्क वर्ष 2014–15 की भाँति रुपये 3.00/– प्रति बल्कलीटर यथावत् रहेगा।

31/ मादक पदार्थों पर अन्य कोई कर :–

वर्ष 2015–16 की लायसेंस अवधि में यदि केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा किसी अधिनियम अथवा नियम के अन्तर्गत मादक पदार्थों पर कोई कर लगाया जावेगा, तो अनुज्ञप्तिधारी इस बाबत् लायसेंस फीस में किसी छूट अथवा क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा, और इस संबंध में उसकी कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

32/ देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों के संचालन की व्यवस्था :–

आगामी वर्ष 2015–16 के लिए देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों/समूहों अथवा किसी समूह के लिए व्यवस्थापन नियम, 2002 एवं उसके अधीन प्रचलित आवेदन प्रणाली के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते हैं अथवा वर्तमान में देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन संबंधी जारी किए गए निर्देशों के उल्लंघन पर आबकारी आयुक्त उस दुकान/समूह की दुकानों के विभागीय संचालन अथवा पुनर्व्यवस्थापन की, जैसी भी उचित समझें, व्यवस्था कर सकेंगे।

33/ मद्य निषेद्य नीति तथा प्राकृतिक विपत्तियों के फलस्वरूप मदिरा दुकान बंद करना :–

वित्तीय वर्ष 2015–16 में छत्तीसगढ़ राज्य में अथवा किसी पड़ोसी राज्य में मद्य निषेध की नीति के फलस्वरूप या किसी अन्य कारण से किसी दुकान/समूह की दुकानों के पुनर्आबंटन करने का निर्णय लिया जाता है, तो वैसा करने का अधिकार आबकारी आयुक्त का होगा। इसी प्रकार यदि देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूह के व्यस्थापन की अवधि के दौरान अनुज्ञप्तिधारी को किसी भी दैवीय विपत्ति या प्राकृतिक प्रकोप अथवा सामाजिक उपद्रवों, आंदोलनों, कानून व्यवस्था आदि संबंधी समस्याओं के फलस्वरूप किसी प्रकार की कोई क्षति होती है, तो अनुज्ञप्तिधारी को किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति शासन द्वारा देय नहीं होगा।

34/ छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 में परिवर्तन/संशोधन के सम्बन्ध में :–

आगामी वर्ष 2015–16 में प्रदेश में स्थित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन "छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के

व्यवस्थापन नियम, 2002'' यथासंशोधित के अन्तर्गत ही किया जावेगा। तदनुसार आपके जिले की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों को ऑन लाईन प्रक्रिया के तहत् आवेदन प्रणाली में उक्त नियमों/निर्देशों के तहत आबंटित किया जायेगा।

35/ राज्य शासन द्वारा अपरिहार्य स्थिति में आवेदन प्रक्रिया को समाप्त करते हुए प्रोसेस फीस की राशि को वापस कर आवेदन प्रक्रिया या अन्य प्रक्रिया से देशी/विदेशी मदिरा के व्यवस्थापन करने की कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी स्थिति में कोई भी क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

36/ इस निर्देश में उल्लेखित जानकारी के अतिरिक्त जिले की मदिरा दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी, संबंधित जिला कार्यालय से अवकाश दिवसों को छोड़कर कार्यालयीन समयावधि में प्राप्त की जा सकती है।

37/ <u>सत्यनिष्ठा संधि</u> (Integrity pact) **<u>का पालन किया जाना</u> :–**

सत्यनिष्ठा संधि (Integrity pact) की प्रक्रिया में क्रेता एवं विक्रेता द्वारा सत्यनिष्ठा की नीति का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। सत्यनिष्ठा संधि का प्रारूप परिशिष्ठ (Annexure) में संलग्न है।

38/ वर्ष 2015–16 के लिए प्रदेश में स्थित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/ समूहों की सभी अनुज्ञप्तियाँ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 यथा संशोधित, निर्धारित शर्तों एवं निर्बन्धनों तथा राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/कलेक्टर/जिले के उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/ जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों के अध्यधीन रहेंगी।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(गणेश शंकर मिश्रा)
आबकारी आयुक्त,
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/आब./ठेका/2015/**584,** रायपुर, दिनांक **10.02.2015**

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव मान. मंत्री जी, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल काम्प्लेक्स, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल काम्प्लेक्स, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर,
4. समस्त कलेक्टर्स, छत्तीसगढ़,
5. समस्त अपर आयुक्त आबकारी, उपायुक्त आबकारी एवं सहायक आयुक्त आबकारी, मुख्यालय, रायपुर,
6. वरिष्ठ तकनीकी संचालक, एन. आई. सी. मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल काम्प्लेक्स, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
7. संयुक्त संचालक (वित्त) मुख्यालय, रायपुर,
8. प्रभारी अधिकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़, रायपुर
9. समस्त उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़,
10. उपायुक्त आबकारी जिला–रायपुर/सहायक आयुक्त आबकारी, जिला–दुर्ग / राजनांदगांव/बिलासपुर/कोरबा/जांजगीर चांपा/रायगढ़, ***एवं***
11. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, छत्तीसगढ़

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

आबकारी आयुक्त,
छत्तीसगढ़

परिशिष्ठि–"एक"

वर्ष 2015–16 के लिए देशी/विदेशी मदिरा दुकानों की अवस्थिति अर्थात् स्थल परिवर्तन/नाम परिवर्तन की सूची–

क्र.	नाम जिला	वर्ष 2014–15 में दुकान का वर्तमान स्थान/नाम			वर्ष 2015–16 के लिए दुकान का परिवर्तित स्थान/नाम	
		किस्म दुकान		स्थान	किस्म दुकान	स्थान
1	2	3		4	5	6
1	राजनांदगांव	1	देशी मदिरा	नयाढ़ाबा	देशी मदिरा	पेण्ड्री
		2	विदेशी मदिरा	साल्हेवारा	विदेशी मदिरा	मानपुर
2	रायगढ़	1	विदेशी मदिरा	राजीव नगर	विदेशी मदिरा	कोकड़ीतराई

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
आबकारी विभाग, छ.ग. रायपुर

परिशिष्ट–दो

कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर

वर्ष 2015–16 हेतु राजस्व गणना पत्रक

क्र.	जिले का नाम	वर्ष 2014–15 के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा			वर्ष 2014–15 के लिए निर्धारित राजस्व (रूपयों में)	वर्ष 2015–16 के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा			ड्यूटी राशि देशी मदिरा @ 90 per P.L. विदेशी मदिरा स्प्रिट @ 115 per P.L. विदेशी मदिरा माल्ट @ 22 per B.L.			कुल योग ड्यूटी राशि (कालम नं. 10+11+12) (रू.में)	कुल लायसेंस फीस (देशी+स्प्रिट+ माल्ट) (रू.में)	कुल राजस्व (कालम नं. 13+14) (रू.में)	गतवर्ष के राजस्व से कमी/वृद्धि (रूपये में) (कालम नं. 15–6)	प्रतिशत मात्रा में			राजस्व का प्रतिशत
		देशी मदिरा (प्रू.ली.)	विदेशी मदिरा			देशी मदिरा (प्रू.ली.)	विदेशी मदिरा		देशी मदिरा (रू.में)	विदेशी मदिरा						देशी मदिरा	विदेशी मदिरा		
			स्प्रिट (प्रू.लि)	माल्ट (ब.ली)			स्प्रिट (प्रू.लि)	माल्ट (ब.ली)		स्प्रिट (रू.में)	माल्ट (रू.में)						स्प्रिट	माल्ट	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	रायपुर	7725000	11252000	4500000	5219285714	8554000	9835000	4984000	769860000	1131025000	109648000	2010533000	3733847000	5744380000	525094286	10.7	-12.6	10.8	10.1
2	बलौदा बाजार	3000000	2200000	950000	1356857143	3557400	2325400	1028300	320166000	267421000	22622600	610209600	1133246400	1743456000	386598857	18.6	5.7	8.2	28.5
3	गरियाबंद	650000	650000	325000	351000000	851497	685519	362754	76634730	78834685	7980588	163450003	303550006	467000009	116000009	31.0	5.5	11.6	33.0
4	दुर्ग	7430000	5400000	2500000	3355828571	7150000	5000000	2500000	643500000	575000000	55000000	1273500000	2365071429	3638571429	282742857	-3.8	-7.4	---	8.4
5	बेमेतरा	1700000	1350000	550000	799142857	1835009	1227604	550000	165150810	141174460	12100000	318425270	591361216	909786486	110643629	7.9	-9.1	---	13.8
6	बालोद	2350000	1375000	475000	946428571	2727850	1443400	546350	245506500	165991000	12019700	423517200	786531943	1210049143	263620571	16.1	5.0	15.0	27.9
7	राजनांदगांव	2636000	2099000	750000	1234308571	3088000	2309000	753000	277920000	265535000	16566000	560021000	1040039000	1600060000	365751429	17.1	10.0	0.4	29.6
8	कबीरधाम	1384000	482000	360000	468777143	2218600	642400	466000	199674000	73876000	10252000	283802000	527060857	810862857	342085714	60.3	33.3	29.4	73.0
9	धमतरी	2078000	1351160	650000	890000000	2366000	1257200	725200	212940000	144578000	15954400	373472400	693591600	1067064000	177064000	13.9	-7.0	11.6	19.9
10	महासमुंद	2912000	1220000	700000	1041531429	4105000	1464480	772270	369450000	168415200	16989940	554855140	1030445260	1585300400	543768971	41.0	20.0	10.3	52.2
11	कांकेर	176000	934000	595000	343480000	182700	1128216	737548	16443000	129744840	16226056	162413896	301625807	464039703	120559703	3.8	20.8	24.0	35.1
12	बस्तर	35000	694000	742000	252725714	35000	1119144	1029918	3150000	128701560	22658196	154509756	286946690	441456446	188730731	---	61.3	38.8	74.7
13	कोड़ागांव	9000	170000	160000	60634286	18500	415464	520017	1665000	47778360	11440374	60883734	113069792	173953526	113319240	105.6	144.4	225.0	186.9
14	दंतेवाड़ा	18000	382000	432000	140308571	19000	506004	766942	1710000	58190460	16872724	76773184	142578770	219351954	79043383	5.6	32.5	77.5	56.3
15	सुकमा	21000	145000	210000	59308571	22596	196460	368050	2033640	22592900	8097100	32723640	60772474	93496114	34187543	7.6	35.5	75.3	57.6
16	बीजापुर	18000	170000	260000	68925714	20996	242845	413476	1889640	27927175	9096472	38913287	72267533	111180820	42255106	16.6	42.9	59.0	61.3
17	नारायणपुर	6000	58000	55000	21365714	8000	140200	145050	720000	16123000	3191100	20034100	37206186	57240286	35874571	33.3	141.7	163.7	167.9

क्र.	जिले का नाम	वर्ष 2014–15 के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्यामूत मात्रा			वर्ष 2014–15 के लिए निर्धारित राजस्व (रूपयों में)	वर्ष 2015–16 के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्यामूत मात्रा			ड्यूटी राशि देशी मदिरा @ 90 per P.L. विदेशी मदिरा स्प्रिट @ 115 per P.L. विदेशी मदिरा माल्ट @ 22 per B.L.			कुल योग ड्यूटी राशि (कालम नं. 10+11+12) (रू.में)	कुल लायसेंस फीस (देशी+स्प्रिट+ माल्ट) (रू.में)	कुल राजस्व (कालम नं. 13+14) (रू.में)	गतवर्ष के राजस्व से कमी/वृद्धि (रूपये में) (कालम नं. 15–6)	प्रतिशत मात्रा में			राजस्व का प्रतिशत
		देशी मदिरा (प्रू.ली.)	विदेशी मदिरा			देशी मदिरा (प्रू.ली.)	विदेशी मदिरा		देशी मदिरा (रू.में)	विदेशी मदिरा						देशी मदिरा	विदेशी मदिरा		
			स्प्रिट (प्रू.लि)	माल्ट (ब.ली)			स्प्रिट (प्रू.लि)	माल्ट (ब.ली)		स्प्रिट (रू.में)	माल्ट (रू.में)						स्प्रिट	माल्ट	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18	बिलासपुर	5125000	3900000	1700000	2363285714	5665068	3642000	1756000	509856120	418830000	38632000	967318120	1796447937	2763766057	400480343	10.5	-6.6	3.3	16.9
19	मुंगेली	1300000	780000	375000	536142857	1837231	601723	431248	165350790	69198145	9487456	244036391	453210440	697246831	161103974	41.3	-22.9	15.0	30.0
20	जांजगीर–चांपा	4825000	1452000	1100000	1559285714	5588350	1455000	1110000	502951500	167325000	24420000	694696500	1290150643	1984847143	425561429	15.8	0.2	0.9	27.3
21	कोरबा	1452000	1377000	1000000	779874286	1834740	1627450	1176980	165126600	187156750	25893560	378176910	702328547	1080505457	300631171	26.4	18.2	17.7	38.5
22	रायगढ़	2600000	1600000	1062000	1103325714	3469100	1840000	1400000	312219000	211600000	30800000	554619000	1030006714	1584625714	481300000	33.4	15.0	31.8	43.6
23	जशपुर	65000	335000	240000	125285714	73000	449965	380100	6570000	51745975	8362200	66678175	123830896	190509071	65223357	12.3	34.3	58.4	52.1
24	सरगुजा	50000	450000	270000	156685714	54000	841320	497519	4860000	96751800	10945418	112557218	209034833	321592051	164906337	8.0	87.0	84.3	105.2
25	बलरामपुर	0	98000	72000	32525714	0	162800	132246	-	18722000	2909412	21631412	40172622	61804034	29278320	---	66.1	83.7	90.0
26	सूरजपुर	110000	302000	200000	123371429	119929	530957	348652	10793610	61060055	7670344	79524009	147687445	227211454	103840026	9.0	75.8	74.3	84.2
27	कोरिया	413000	425000	367000	236537143	439850	460000	389182	39586500	52900000	8562004	101048504	187661507	288710011	52172869	6.5	8.2	6.0	22.1
योग		**48088000**	**40651160**	**20600000**	**23626228571**	**55841416**	**41549551**	**24290802**	**5025727440**	**4778198365**	**534397644**	**10338323449**	**19199743548**	**29538066997**	**5911838426**	**16.1**	**2.2**	**17.9**	**25.0**

आबकारी आयुक्त
छत्तीसगढ़, रायपुर

परिशिष्ठ–"तीन–(i)"

आवेदन पत्र (ऑन लाइन)

(कृपया नियम 8 देखे)

आवेदित प्रति समूह के लिये प्रोसेस फीस की निर्धारित राशि रू. ————————/–

आवेदक का पासपोर्ट साईज का स्कैन किया गया फोटोग्राफ Size (20 से 50 Kb के बीच) (144x144 पिक्सल न्यूनतम रिसोल्यूसन तक की)

1.

आवेदक का प्रकार (Status of Applicant)	व्यक्तिगत / फर्म / एच.यू.एफ. / कंपनी (Individual/Firm/H.U.F./Company)

2.

आवेदक का आयकर विभाग का पेन (Permanent Account number)	

3. वर्ष 2015–16 के लिये जिला ..... की देशी / विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के समूह / समूहों (समूह / समूहों का क्रमांक एवं नाम) के लायसेंस हेतु आवेदन पत्रः–

क्र.	दुकान / समूह का नाम	कुल राजस्व

4. कुल प्रोसेस फीस की राशि :– .....
(Total Process Fees)

5. (अ) आवेदक / आवेदिका / फर्म का नाम / एच.यू.एफ. :– .....
(Name Of Applicant / Firm/H.U.F.) (In English) :– .....

(ब) पिता / पति / संचालक / कर्ता का नाम (Name Of :– .....
(Father/Husband/Director/Karta) (In English) :– .....

(स) लिंग (Gender) :– .....
(द) (i) जन्मतिथि (Date of Birth) :– .....
(ii) आयु (Age) :– .....
(आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि की स्थिति में) :– .....
(As on Last Date Of Receipt Of Application Form)
(iii) राष्ट्रीयता (Nationality) :– .....

6. पता (अ) स्थाई निवास का पता :– .....
(Permanent Residential Address) :– .....
(i) पिन कोड (Pin Code) :– .....

(ii) टेलीफोन नं. (Telephone Number) :– .....
(iii) मोबाईल नं. (Mobile Number) :– .....
(iv) ई.मेल.आई.डी. (E-Mail ID) :– .....

(टीप) :— उपरोक्त (i) से (ii) की जानकारी ऐच्छिक होगी, तथा (iii) से (iv) की जानकारी अनिवार्य होगी।
(Note-Informations from (i) to (ii) are optional and (iii) to (iv) are mandatory)

(ब) पत्र व्यवहार हेतु पता :— .....
(Address for Correspondence) :— .....
.....
.....

(i) पिन कोड (Pin Code) :— .....
(ii) टेलीफोन नं. (Telephone Number) :— .....
(iii) मोबाईल नम्बर (Mobile Number) :— .....
(iv) ई.मेल.आई.डी. (E-Mail ID) :— .....

(टीप) :— उपरोक्त (i) से (ii) की जानकारी ऐच्छिक होगी, तथा (iii) से (iv) की जानकारी अनिवार्य होगी।
(Note-Informations from (i) to (ii) are optional and (iii) to (iv) are mandatory)

(स) विगत 10 वर्षो से निवास करने संबंधी जानकारी निम्नानुसार है (Last 10 years resident details are as below) :—

अवधि (कब से कब तक) Period (From ..... to .....)	**कुल अवधि (वर्ष/माह)** Total period (Year/Month)	**निवास करने का पूर्ण पता** Complete Residencial Address

घोषणा
(Declaration)

यह कि मैंने/हमने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 व उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2002 (यथासंशोधित) तथा लायसेंस की शर्तो और निर्बन्धों को पूरी तरह पढ़/समझ लिया है और यदि आवेदित दुकान/समूह मुझे आबंटित हो जाती है तो मैं/हम इस अनुक्रम में (राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/ कलेक्टर/उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा) समय–समय पर दिये जाने वाले आदेशों/निर्देशों का सम्यक रूप से पालन करने के लिये प्रतिबद्ध रहूँगा/रहेंगे।

उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी में पूर्णतः सत्य/सही है। यदि उपरोक्त विवरण असत्य या गलत पाया जाये तो, मेरा/हमारा आवेदन पत्र निरस्त करने योग्य होगा। यदि उपरोक्त विवरण लायसेंस जारी करने के उपरांत असत्य या गलत पाया जाता है तो मेरा/हमारा लायसेंस निरस्त करने के दायित्वाधीन होगा और मेरे/हमारे द्वारा जमा कि गई राशि लायसेंस फीस एवं प्रतिभूति की धनराशि भी राजसात करने योग्य होगी, जिसकी मुझे/ हमे कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त मैं/हम इस तथ्य से भिज्ञ हूँ/है कि, असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध भी है तथा मेरे/हमारे विरूद्ध दण्डनीय अपराध दर्ज किया जा सकता है।

दिनांक (Date) :— .....
स्थान (Place) :— .....

हस्ताक्षर (तिथि सहित)
(Signature with Date)

परिशिष्ठ–"तीन–(ii)"

शपथ पत्र

मैं .....पुत्र/पत्नि/पुत्री .....आयु ..... वर्ष, निवासी ..... शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि :–

(1) यह कि, शपथकर्ता ने वर्ष ..... के लिए जिला ..... की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के समूह ..... (समूह का नाम) तहसील ..... के लायसेंस हेतु आवेदन पत्र दिया है।

(2) यह कि, शपथकर्ता भारत का नागरिक है।

(3) यह कि, शपथकर्ता की आयु 21 वर्ष से अधिक है।

(4) यह कि, शपथकर्ता का नाम आबकारी विभाग की बकाया सूची व काली सूची में सम्मिलित नहीं है। व्यवस्थापन नियम, 2002 के नियम 13 के अधीन व्यतिक्रमी सूची में भी आवेदक का नाम सम्मिलित नहीं है तथा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 एवं उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के प्रावधानों के अधीन आबकारी लायसेंस धारण करने से वर्जित नहीं किया गया है एवं किसी भी अन्य राज्यों में तत्संबंधी प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति धारण करने से वर्जित नहीं किया गया है तथा शपथकर्ता का नाम अन्य राज्यों की बकाया/काली सूची में भी सम्मिलित नहीं है।

(5) यह कि, शपथकर्ता का अनुज्ञप्तिधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में शपथकर्ता, देश के जिन–जिन राज्यों में लायसेंसी रहा है, उन राज्यों से बकायादार/काली सूची में सम्मिलित व्यक्ति नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र लायसेंस जारी होने के **60 (साठ)** दिनों के भीतर लायसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। यदि इस अवधि में मेरे द्वारा अपेक्षित प्रमाण पत्र लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो लायसेंसिंग प्राधिकारी लायसेंस निरस्त कर सकेगा।

(6) यह कि, शपथकर्ता को दुकान/समूह आबंटित होने पर वह उस स्थान पर नियमों के अनुसार दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है या किराये पर लेने की व्यवस्था कर सकता है।

(7) यह कि, शपथपकर्ता का नैतिक चरित्र अच्छा है और उसकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उसको छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा किसी संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दण्डित नहीं किया गया है।

(8) यह कि, शपथकर्ता का अनुज्ञप्तिधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहाँ का वह मूल निवासी है एवं **विगत 10 (दस) वर्षों में** वह जहाँ–जहाँ निवास करता रहा है, के पुलिस अधीक्षकों द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र लायसेंस जारी होने के **60 (साठ)** दिनों के भीतर लायसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा कि, उसका चरित्र अच्छा है एवं उसकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या अपराधिक इतिहास नहीं है। यदि इस अवधि में मेरे द्वारा अपेक्षित प्रमाण पत्र लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो लायसेंसिंग प्राधिकारी लायसेंस निरस्त कर सकेगा।

(9) यह कि, शपथकर्ता के अनुज्ञप्तिधारी के रूप में चयनित होने पर वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि होगी या जो किसी संक्रामक या छुआछूत रोग से ग्रसित होगा या 21 वर्ष से कम आयु का होगा या महिला होगी।

–2

(10) यह कि, शपथकर्ता के ऊपर कोई सरकारी देय नहीं है।

(11) यह कि, शपथकर्ता आयकर विभाग द्वारा आबंटित स्थायी लेखा संख्या (Permanent Account Number) धारित करता है, जिसका PAN No.....है तथा आबंटित पेन नम्बर के कार्ड की राजपत्रित अधिकारी अथवा पब्लिक नोटरी से सत्यापित प्रतिलिपि आवेदन पत्र के संलग्न प्रस्तुत की गयी है।

(12) यह कि, शपथकर्ता का लायसेंसी के रूप में चयन होने पर, उसके द्वारा अपने चयन की सूचना पाने के 2 (दो) कार्य दिवस के भीतर वह कलेक्टर के पास लायसेंस की शर्तों और निर्बन्धनों के यथोचित पालन के लिए सम्बन्धित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के समूह के लिए निर्धारित वार्षिक प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि का 1/12वाँ भाग प्रतिभूति के रूप में, वार्षिक निर्धारित लायसेंस फीस का 1/12वाँ भाग, जो किसी प्रकार की बकाया न रहने की दशा में माह मार्च, 2016 की मासिक अंशिका में समायोजन योग्य होगी तथा माह अप्रैल, 2015 की लायसेंस फीस दिनांक 27 मार्च, 2015 तक अग्रिम के रूप में जमा करने के लिए बाध्य रहेगा।

(13) यह कि, शपथकर्ता ने लायसेंस की शर्तों और निर्बन्धनों को पूरी तरह समझ/पढ़ लिया है, और यदि आवेदित दुकान/समूह उसे आबंटित हो जाता है, तो वह छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 व उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं यथासंशोधित छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 तथा लायसेंस की शर्तों और शासन/आबकारी आयुक्त/ कलेक्टर/ उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले आदेशों/निर्देशों का सम्यक् रूप से पालन करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।

दिनांक :–

स्थान :–

शपथकर्ता के हस्ताक्षर
तिथि सहित

सत्यापन

मैं .....पुत्र/पत्नि/पुत्री ..... उल्लेखित शपथकर्ता, एतद् द्वारा, यह सत्यापित करता/करती हूँ कि, इस शपथ पत्र की कंडिका (1) से (13) तक में अभिलिखित कथन मेरे स्वयं के ज्ञान तथा विश्वास से तथा उपलब्ध जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है तथा इस शपथ पत्र में मैंने न तो कोई तथ्य छिपाये हैं और न ही कोई मिथ्या कथन किया है।

आज दिनांक ..... को स्थान ..... में पढ़कर, समझकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर सत्यापित किया गया।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर
तिथि सहित

पब्लिक नोटरी का सत्यापन

परिशिष्ठ–"तीन–(iii)"

जन्मतिथि की पुष्टि हेतु आवेदन पत्र में निर्धारित कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने पर अशिक्षित आवेदकों द्वारा दिये जाने वाले शपथ पत्र का नमूना

(गैर अदालती स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाये)

मैं ..... पुत्र/पत्नि/पुत्री ..... वर्तमान में निवासरत् .....एतद्द्वारा निम्नलिखित कथन करता/करती हूँ :–

मेरा जन्म दिनांक ..... को ..... प्रदेश के जिला.....में स्थित ग्राम/तहसील..... में हुआ था। जन्मतिथि एवं स्थान के संबंध में मेरे पास कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है।

मैं किसी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता/रखती हूँ एवं अशिक्षित व्यक्ति हूँ।

मैं निष्ठापूर्वक शपथ/पुष्टि करता/करती हूँ कि, मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त विवरण सही है एवं मैंने किसी भी तथ्य को न तो छुपाया है और न ही उसे गलत ढंग से प्रस्तुत किया है।

स्थान : .....

तारीख : .....

आज दिनांक ..... वर्ष ..... को सत्यापित किया कि, मेरे उपरोक्त शपथ पत्र में दी गई जानकारी मेरे समस्त ज्ञान से सत्य एवं सही है एवं विश्वास कराता/कराती हूँ कि, उसमें कोई भी विवरण छुपाया नहीं गया है। मुझे शपथ पत्र का विवरण पढ़कर सुनाया गया।

शपथकर्ता/वादी

प्रमाणित

प्रमाणित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कार्यालय की सील

टीप :– **शपथपत्र मजिस्ट्रेट/नोटरी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।**

Annexure

PRE-CONTRACT INTEGRITY PACT

1. GENERAL

1.1. This pre-bid contract Agreement (herein after called the Integrity Pact) is made on.....day of the month.....20....., between, the Government of Chhattisgarh acting through Shri.....(Designation of the officer, Department) Government of Chhattisgarh (hereinafter called the "BUYER", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors in the office and assigns) and the First Party, proposes to procure (name of the Stores/Equipment/Work/Service) and M/s.....represented by Shri.....Chief Executive Officer (hereinafter called the "BIDDER/Seller", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors an permitted assigns) and the Second Party, is willing to offer/ has offered.

1.2. WHEREAS the BIDDER is a Private Company/Public Company/ Government Undertaking/ Partnership/Registered Export Agency, constituted in accordance with the relevant law in the matter and the BUYER is a Ministry/Department of the Government, performing its function on behalf of the Government of Chhattisgarh.

2. OBJECTIVES

NOW, THEREFORE, the BUYER and the BIDDER agree to enter into this pre-contract agreement, hereinafter referred to as Integrity Pact, to avoid all forms of corruption by following a system that is fair, transparent and free from any influence/prejudiced dealings prior to, during and subsequent to the Contract to be entered into with a view to:-

2.1. Enabling the BUYER to obtain the desired Stores/Equipment/Work/Service at a competitive price in conformity with the defined specifications by avoiding the high cost and the distortionary impact of corruption on public procurement, and

2.2. Enabling BIDDERs to abstain from bribing or indulging in any corrupt practices in order to secure the contract by providing assurance to them that their competitors will also abstain from bribing any corrupt practices and the BUYER will commit to prevent corruption, in any form, by its official by following transparent procedures.

3. COMMITMENTS OF THE BUYER

The BUYER commits itself to the following:-

3.1. The BUYER undertakes that no official of the BUYER, connected directly or indirectly with the contract, will demand, take promise for or accept, directly or through intermediaries, any bribe, consideration, gift, reward, favour or any material or immaterial benefit or any other advantage from the BIDDER, either for themselves or for any person, organization or third party related to the contract in exchange for an advantage in the bidding process, bid evaluation, contracting or implementation process related to the contract.

3.2. The BUYER will, during the pre-contract stage, treat BIDDERs alike, and will provide to all BIDDERs the same information and will not provide any such information to any particular BIDDER which could afford an advantage to that particular BIDDER in comparison to the other BIDDERs.

3.3. All the officials of the BUYER will report the appropriate Government office any attempted or completed breaches of the above commitments as well as any substantial suspicion of such a breach.

In case any such preceding misconduct on the part of such official(s) is reported by the BIDDER to the BUYER with the full and verifiable facts and the same *prima facie* found to be correct by the BUYER, necessary disciplinary proceedings, or any other action as deemed fit, including criminal proceedings may be initiated by the BUYER and such a person shall be debarred from further dealings related to the contract process. In such a case while an enquiry is being conducted by the BUYER the proceedings under the contract would not be stalled.

4. COMMITMENTS OF BIDDERS

The BIDDER commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means an illegal activities during any stage of its bid or during any pre-contract or

post-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it and in particular commit itself to the following:-

4.1. The BIDDER will not offer, directly or through intermediaries, any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the BUYER, connected directly or indirectly with the biding process, or to any person, organization or third party related to the contract in exchange for any advantage in the bidding, evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.2. The BIDDER further undertakes that it has not given, offered or promised to give, directly or indirectly any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage, or inducement to any official of the BUYER or otherwise in procuring the Contract of forbearing to do or having done any act in relation to the obtaining or execution of the contract or any other contract with the Government for showing or forbearing to show favour or disfavour to any person in relation to the contract or any other contract with the Government.

4.3. The BIDDER further confirms and declares to the BUYER that the BIDDER in the original Manufacture/Integrator/Authorized government sponsored export entity of the stores and has not engaged any individual or firm or company whether Indian or foreign to intercede, facilitate or in any way to recommend to the BUYER or any of its functionaries, whether officially or unofficially to the award of the contract to the BIDDER, nor has any amount been paid, promised or intended to be paid to any such individual, firm or company in respect of any such intercession, facilitation or recommendation.

4.4. The BIDDER, either while presenting the bid or during pre-contract negotiations or before signing the contract, shall disclose any payment he has made, is committed to or intends to make to officials of the BUYER or their family members, agents, brokers or any other intermediaries in connection with the contract and the details of services agreed upon for such payments.

4.5. The BIDDER will not collude with other parties interested in the contract to impair the transparency, fairness and progress of the bidding process, bid evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.6. The BIDDER will not accept any advantage in exchange for any corrupt practice, unfair means and illegal activities.

4.7. The BIDDER shall not use improperly, for purpose of competition or personal gain, or pass on to others, any information provided by the BUYER as part of the business relationship, regarding plans, technical proposal and business details, including information contained in any electronic data carrier. The BIDDER also undertakes to exercise due and adequate care lest any such information is divulged.

4.8. The BIDDER commits to refrain from giving any complaint directly or through any other manner without supporting it with full and verifiable facts.

4.9. The BIDDER shall not instigate or cause to instigate any third person to commit any of the acts mentioned above.

5. PREVIOUS TRANSGRESSION

5.1. The BIDDER declares that no previous transgression occurred in the last three years immediately before signing of this Integrity Pact with any other company in any country in respect of any corrupt practices envisaged hereunder or with any Public Sector Enterprise in India or any Government Department in India that could justify BIDDER's exclusion from the tender process.

5.2. If the BIDDER makes incorrect statement on this subject, BIDDER can be disqualified from the tender process or the contract, if already awarded, can be terminated for such reason.

6. EARNEST MONEY (SECURITY DEPOSIT)

6.1. Every BIDDER while submitting commercial bid, shall deposit an amount as specified in RFP as Earnest Money/Security Deposit, with the BUYER through any of the following instruments:

(i) Bank Draft or a Pay Order in favour of.....

(ii) A confirmed guarantee by an Indian Nationalised Bank, promising payment of the guaranteed sum to the..... (BUYER).....on demand within three working days without any demur whatsoever and without seeking any reasons whatsoever. The demand for payment by the BUYER shall be treated as conclusive proof of payment.

(iii)Any other mode or through any other instrument (to be specified in the RFP).

6.2. The Earnest Money/Security Deposit shall be valid upto a period of five years or the complete conclusion of the contractual obligations to the complete satisfaction of both the BIDDER and BUYER, including warranty period, whichever is later.

6.3. In the case of successful BIDDER a clause would also be incorporated in the Article pertaining to Performance Bond in the Purchase Contract that the provisions of Sanctions for violation shall be applicable for forfeiture of Performance Bond in case of a decision by the BUYER to forfeit the same without assigning any reason for imposing sanction for violation of this Pact.

6.4. No interest shall be payable by the BUYER to the BIDDER on Earnest Money/Security Deposit for the period of its currency.

7. SANCTIONS FOR VIOLATIONS

7.1. Any breach of the aforesaid provisions by the BIDDER or any one employed by it or acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the BIDDER) shall entitle the BUYER to take all or any one of the following actions, wherever required:-

(i) To immediately call off the pre contract negotiations without assigning any reason or giving any compensation to the BIDDER. However, the proceedings with the other BIDDER(s) would continue.

(ii) To forfeit fully or partially the Earnest Money Deposit (in pre-contract stage) and/or Security Deposit/Performance Bond (after the contract is signed), as decided by the BUYER and the BUYER shall not be required to assign any reason therefore.

(iii)To immediately cancel the contract, if already signed, without giving any compensation to the BIDDER.

(iv)To recover all sums already paid by the BUYER, and in case of the Indian BIDDER with interest thereon at 2% higher than the prevailing Prime Lending Rate while in case of a BIDDER from a country other than India with Interest thereon at 2% higher than the LIBOR. If any outstanding payment is due to the BIDDER from the BUYER in connection with any other contract such outstanding payment could also be utilized to recover the aforesaid sum and interest.

(v) To encash the advance bank guarantee and performance bond/warranty bond, if furnished by the BIDDER, in order to recover the payments, already made by the BUYER, along with interest.

(vi) To cancel all or any other contracts with the BIDDER and the BIDDER shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER resulting from such cancellation/rescission and the BUYER shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER.

(vii) To debar the BIDDER from participating in future bidding processes of the Government of Chhattisgarh for a minimum period of five years, which may be further extended at the discretion of the BUYER.

(viii) To recover all sums paid in violation of this Pact by BIDDER(s) to any middlemen or agent or broken with a view to securing the contract.

(ix) In cases where irrevocable Letters of Credit have been received in respect of any contract signed by the BUYER with the BIDDER, the same shall not be opened.

(x) If the BIDDER or any employee of the BIDDER or any person acting on behalf of the BIDDER, either directly or indirectly, is closely related to any of the officers of the BUYER, or alternatively, if any close relative of an officer of the BUYER has financial interest/stake in the BIDDER's firm, the same shall be disclosed by the BIDDER at the time of filling of tender. Any failure to disclose the interest involved shall entitle the BUYER to rescind the contract without payment of any compensation to the BIDDER.

The term 'close relative' for this purpose would mean spouse whether residing with the Government servant or not, but not include a spouse separated from the Government servant by a decree or order of a competent court; son or daughter or step son or step daughter and wholly dependent upon Government servant, but does not include a child or step child who is no longer in any way dependent upon the Government servant or of whose custody the Government servant has been deprived of by or under any law; any other person related, whether by blood or marriage, to the Government servant or to the Government servant's wife or husband and wholly dependant upon Government servant.

(xi) The BIDDER shall not lend to or borrow any money from or enter into any monetary dealings or transactions, directly or indirectly, with any employee of the BUYER, and if he does so, the BUYER shall be entitled forthwith to rescind the contract and all other contracts with the BIDDER. The BIDDER shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER resulting from such rescission and the BUYER

shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER.

7.2. The decision of the BUYER to the effect that a breach of the provisions of this pact has been committed by the BIDDER shall be final and conclusive on the BIDDER. However, the BIDDER can approach the Monitor(s) appointed for the purposes of this Pact.

8. FALL CLAUSE

8.1. The BIDDER undertakes that if has not supplied/is not supplying similar product/systems or subsystems at a price lower than that offered in the present bid in respect of any other Department of the Government of Chhattisgarh or PSU and if it is found at any stage that similar product/systems or sub systems was supplied by the BIDDER to any other Department of the Government of Chhattisgarh or a PSU at a lower price, then that very price, with due allowance for elapsed time, will be applicable to the present case and the difference in the cost would be refunded by the BIDDER to the BUYER, if the contract has already been concluded.

9. INDEPENDENT MONITORS

9.1. The BUYER will appoint Independent Monitors (hereinafter referred to as Monitors) for this Pact.

9.2. The task of the Monitors shall be to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this Pact.

9.3. The Monitors shall not be subject to instructions by the representatives of the parties and perform their functions neutrally and independently.

9.4. Both the parties accept that the Monitors have the right to access all the documents relating to the project/procurement, including minutes of meetings. The Monitor shall be under contractual obligation to treat the information and documents of the BIDDER/Subcontractor(s) with confidentiality.

9.5. As soon as the Monitor notices, or has reason to believe, a violation of this Pact, he will so inform the Authority designated by the BUYER.

9.6. The Monitor will submit a written report to the designated Authority of BUYER/Secretary in the Department/within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the BUYER/BIDDER and, should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situations

10. FACILITATION OF INVESTIGATION

In case of any allegation of violation of any provisions of this Pact or payment of commission, the BUYER or its agencies shall be entitled to examine all the documents including the Books of Accounts of the BIDDER and the BIDDER shall provide necessary information of the relevant documents and shall extend all possible help for the purpose of such examination.

11. LAW AND PLACE OF JURISDICTION

This Pact is subject to Indian Law, the place of performance and jurisdiction shall be the seat of the BUYER.

12. OTHER LEGAL ACTIONS

The actions stipulated in this Integrity Pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with the provisions of the any other law in force relating to any civil or criminal proceedings.

13. VALIDITY

13.1. The validity of this Integrity Pact shall be from the date of its signing and extend up to 5 years or the complete execution of the contract to the satisfaction of both the BUYER and the BIDDER/Seller whichever is later. In case BIDDER is unsuccessful, this Integrity Pact shall expire after six months from the date of the signing of the contract.

13.2. If one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; the remainder of this Pact shall remain valid. In such case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.

14. The parties hereby sign this Integrity Pact at..... on.....

BUYER BIDDER

Name of the Officer

Designation

Department/ PSU

CHIEF EXECUTTIVE OFFICER

Witness

1).....

.....

2) .....

.....

Witness

1) .....

.....

2) .....

.....